हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

20 मार्च 1990

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 20 मार्च, 1990

पृष्ठ संख्या

स्थगित तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(7)1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(7)22
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(7)32
विभिन्न विषयों का उठाया जाना	(7)36

बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट	(7)37
सदन की मेज पर रखे गये कागज–पत्र	(7)39
समितियों की रिपोर्टस पेश करना–	
(1) कमेटी औन पब्लिक अकाउंटस की 29वीं तथा 30 वीं रिपोर्टस	(7)39
(2) कमेटी औन पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज की 30वी रिपोर्ट	(7)39
(3) कमेटी औन ऐस्टिमेटस की 22वी रिपोर्ट	(7)40
(4) कमेटी औन गवर्नमैंट अश्योरैसिज की 21वीं रिपोर्ट	(7)40
बिल्ज–	
(1) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं० 1) बिल, 1990	(7)40
(2) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं० 2) बिल, 1990	(7)42
शोक प्रस्ताव	(7)43
बिल्ज (पुनरारम्भ)–	
(2) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (न० 2) बिल, 1990	(7)45
(3) दि पंजाब ऐक्साईज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1990	(7)47
(4) दि फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुलेशन एंड डिवैल्पमैंट) बिल,	(7) 51

1990	
(5) दि पंजाब स्लम एरियाज (इम्प्रूवमैंट एंड क्लीयरैंस) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1990	(7) 55
(6) दि कोर्ट फीस (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1990	(7) 62
नियम 84 के अधीन प्रस्ताव–	
(1) वर्ष 1987–88 के लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार का अनुदान उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा लेखा परीक्षण रिपोर्ट सम्बन्धी	(7)64
(2) वर्ष 1988– 89 के लिए हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड की 15 वीं वार्षिक रिपौर्ट सम्बन्धी	(7)67

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 20 मार्च, 1990

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर– 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

स्थगित तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon. Members, postponed questions first.

श्री हरनाम सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरा एक शौर्ट नोटिस क्वैश्चन था। वह कल ऐडमिट हो गया था। उस बारे में मेरा प्वायंट औफ और्डर है कि उसको पहले लिया जाए।

श्री अध्यक्षः डा० साहब, अभी नहीं,after questions hour please.

श्री हरनाम सिंहः अध्यक्ष महोदय, उस बारे में मेरा प्वायंट औफ आर्डर है। रूल्ज के हिसाब से उसको सब से पहले लिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्षः डा० साहब, माफ करें। क्वैश्चन आवर में प्वायंट औफ आर्डर नही होता। इसके बाद आप अपनी बात कह लेना।

Hon'ble Members, before we start .with the starred

questions enlisted for today, we will take up the list of postponed starred questions for today.

Sample of Roads, Bridges, Buildings and Water Supply Tank

***1062. Shri Hira Nand Arya and Shri Surinder Kumar Madan :** Will the Minister for P.W.D. (B & R) be pleased to state—

(a) whether any samples of Roads, Bridges, Buildings and Water supply tanks were got analysed by the Research Laboratories of the Department during the period from 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85 and 1985-86; if so, the yearwise number thereof; and

(b) whether any of the samples out of those referred toin part (a) above, were found sub-standard; if so, the details thereof togetherwith the action taken thereon ?

Public Works Minister (Shri Om Parkash Bhardwaj) : A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) Yes, Sir.

The details of samples tested are as under :—

Year	Roads	Bridges	Buildings	Total	Water Supply Tanks of Public

					Health Depart-ment
1	2	3	4	5	
1980-81	2	—	157	159	22
1981-82	8	5	118	131	27
1982-83	65	21	162	248	16
1983-84	92	8	283	383	36
1984-85	115	24	275	414	18
1985-86	198	20	358	576	9
Total	480	78	1353	1911	128

(b) (i) 692 samples of roads/buildings/bridges were found sub-standard. These comprised of 536 sample of raw material tested before use and 156 samples of finished item.

(ii) Water supply tanks are constructed by the Public Health Department. The 128 samples were referred by them to the Laboratory out of which 29 samples were found sub-standard.

	Roads		Bridges	
	480		78	

	Rawmate- rial brought to site, samples taken before use	Finished item	Raw Mate- rial brought to site, samples taken before use	Finished item
Total No. of samples	459	21	25	53
No. of samples found sub-standard	220	10	15	5

	Buildings		Total	
	1353		1911	
	Raw Mate- rial brought to site samples taken More use	Finishe d item	Raw Mate- rial brought to site samples taken before use	Finished item
No. of samples	571	782	1055	856
No. of samples	301	141	536	156

found substandard				

Of the 536 items of raw material which had been brought to site and found sub-standard, in all these cases material was set right before use in the work.

In all the 156 cases in which samples of work done for finished work had been found substandard, work was either rejected and redone at the expense of the contractor or payment was made to them at reduced rates. Action was also taken against officers/officials where this was warranted.

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने लिए गए सैम्पल्ज का जोड़ 1911 बताया है और इसके साथ ही साथ सैम्पल्ज की वह संख्या भी बताई है जो फेल हुए हैं। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सैम्पल्ज फेल होने के कारण कितने ठेकेदार ब्लैक लिस्ट किए गए, कितने अधिकारियों को विभागीय दण्ड दिया गया या पुलिस के द्वारा दण्ड दिया गया तथा इनमें से कितने रिच सैम्पल्ज पाए गए?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाज: अध्यक्ष महोदय, मेरे आलम फाजल मोहतरिम माननीय सदस्य जो जानकारी चाहते हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि महकमे के छत्तीस अधिकारियों के खिलाफ ऐक्शन लिया गया है और जहां तक ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने का सवाल है, उसे बारे मै बताना चाहता हूं कि कोई ठेकेदार ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया।

श्री हीरा नन्द आर्यः क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोई रिच सैम्पल्ज पाए गए और अगर पाए गए तो कितने पाए गए औरे क्या किसी ठेकेदार का कोई कसूर नहीं पाया गया?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, जो सैम्पल्ज फेल नहीं हुए वे सारे ही रिच माने जाएंगे। स्पीकर साहब, कुछ सैम्पल्ज इनमें ऐसे हैं जो रा–मैटीरियल के थे। रा–मैटीरियल के सैम्पल्ज साइट पर ही चौक किए जाते हैं। अगर वे खराब होते हैं तो मैटीरियल को रिप्लेस कर देते हैं। मैटीरियल यूज होने से पहले टैस्ट किया जाता है इसलिए ठेकेदार के खिलाफ ऐक्शन लेने की कोई बात नहीं है। अगर थोड़ी बहुत वेरिएशन की बात हो तो उसकी डिडक्शन हो जाती है।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने बताया है कि 692 सैम्पल्ज सब–स्टैडर्ड पायु गए और इनमें से 536 सैम्पल्ज रा–मैटीरियल के थे जों रा–मैटीरियल के यूज करने से पहले लिए गए थे और 15–6 सैम्पल्ज फिनिश्ड आइटम के थे। है यह जानना चाहता हूं कि जो 156 सैम्पल्ज लिए गए उनमें कितने ठेकेदार ब्लैक लिस्ट किए गए क्योंकि उस समय तो सारी जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ठेकेदार रहैं हैं। अगर ये अपने टाईम के कार्य के बारे में

जानना चाहते हैं तो ये बता दे.। मैं उसके बारे में जानकारी दे दूंगा।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः अध्यक्ष महोदय, कितना सीरयस क्वैश्चन चल रहा है और ये इस तरह से जवाब दे रहैं' हैं।

Mr. Speaker : It is a very sensitive question. ऐसी बात नहीं चलेगी।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः अध्यक्ष महोदय, 156 सैम्पल्ज फिंनिश्ड आइटम्ज के गए हैं। उस समय ठेकेदार काम कर रहा था ओंर उसेकी पूरी जिम्मेदारी होती है। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उस समय कौन सा ठेकेदार था और क्या उसको ब्लैक लिस्ट किया गया था या नहीं?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बता दिया है कि कोई ठेकेदार ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ है। जहां तक ऐक्शन लेने का अभिप्राय है, मैं बताना चाहता हू कि if any item of work was found sub-standard or executed with sub-standard materials either the work was rejected re-done done or part of it was replaced or the payment of the same was made at the reduced rate taking into account the stability of structure. Action against the defaulters in such cases was also taken as per rules depending upon the gravity of case.

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने जवाव में कहा है कि 156 नमूने बिलो स्टैडर्ड पाये गये जिसके कारण

इन्होंने ठेकेदार के बिलों में से तो डिडक्शन कर ली है लेकिन मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि इसमें जो ऐक्सीयन व एस० ई० इंवौल्वड थे, क्या उनको भी किसी प्रकार की कोई पनिशमैन्ट दी गयी है या नहीं?

मुख्य मन्त्री (चौधरी ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, सरकार के पास किसी भी ठेकेदार या किसी भी अधिकारी के मुताल्लिक कोई भी शिकायत आए तो उसकी पूरी तरह से इनवैस्टीगेशन होती है और अगर कोई ठेकेदार कसूरवार पाया जाए तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है और उसकी सिक्योरिटी भी जब्त होती है। मरकारी अधिकारी अगर दोषी पाया जाए तो पहली ही स्टेज पर उसे सस्पैन्ड कर दिया जाता है और इंक्वायरी करने के बाद उसके खिलाफ केस रजिस्टर करके मुकदमा भी चलाया जाता है। ऐसी शिकायतें किसी भी सम्मानित सदस्य या हरियाणा प्रदेश की जनता या किसी नागरिक की तरफ से आएंगी तो सरकार उस पर सख्त ऐक्शन लेगी।

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, अभी यहां बताया गया कि 536 नमूने रा–मैटीरियल के फेल हुए हैं। क्या मुख्य मन्त्री महोदय यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि रा–मैटीरियल सरकार देती है या ठेकेदार स्वयं मंगवाते हैं? अगर सरकार देती है तो क्या सरकार पहले ही निर्णय नहीं लेती कि किसी अच्छी कम्पनी से अच्छा माल लिया जाए?

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, डाक्टर साहिबा की जानकारी के लिये मैं यह बता देना चाहता हूं और वे स्वयं भी इस बात की जानकारी रखती हैं कि सरकार ने किसी काम के लिये जो भी चीजें खरीदनी हो, वह उस के लिये टैण्डर काल करती है। मैटीरियल और दूसरी जो जो चीजें काम में इस्तेमाल होनी होती हैं उसके लिये बाकायदा टैण्डर काल किये जाते हैं और इसके लिये सरकार की पूरी जिम्मेवारी है। अगर कहीं घटिया माल लगता हो तो उसके सैम्पल भरे जीते हैं और घटिया माल पाये जानें पर उचित ऐक्शन भी लिया जाता है'।

श्री रण सिंह भान: अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अपने जवाब में यह कबूल किया है कि 156 नमूने माल के बिलो–स्टैण्डर्ड पाये गये हैं जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को उसकी कम अदायगी हुई है। इसका मतलब तो यह हुआ कि मन्त्री जी ने यह कबूल करके यह सिद्ध किया है कि किसी न किसी का दोष तो अवश्य ही है। फिनिश्ड आईटम्ज के जो 156 नमूने फेल हुए हैं, इसका मतलब यही हुआ कि माल बिलों स्टैण्डर्ड था। क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि अगर माल बिलो–स्टैण्डर्ड पाया जाता है तो इस बारे में विभाग के क्या नियम हैं? क्या विभाग ठेकेदारों को ही दोषी मानेगा या जिन औफिसर्ज की सुपरवीजन में यह सारा काम हुआ हो उन्हैं भी दोषी मानेगा ऐसे लोगों को दण्ड देने का सरकार के पास क्या प्रावधान हैं?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, जहां तक औफिशियलज का ताल्लुक है, जो इस काम को देखते हैं, उनके खिलाफ तो ऐक्शन लिया ही जाता है। दूसरी बात जो ठेकेदार के बारे में कही गयी, उसके बारे में कुछ हद तक कोडज में वेरीऐशन है। अभी तक तो यही है कि उसकी थोड़ी पेमैण्ट काट ली जाती है।

श्री सीता राम सिंगलाः अध्यक्ष महोदय, जवाब में 1980–82 से लेकर 1985–86 तक का ब्यौरा दिया गया है। उस वक्त चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंह जी की पार्टी की सरकार थी। अभी मुख्यमन्त्री महोदय ने अपने जवाब में बताया कि जिन ठेकेदारों के सैम्पल्ज फेल होते हैं, उनके खिलाफ ऐक्शन होता ही है, उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है और उनकी सिक्योरिटी भी जब्त कर ली जाती है। क्या मुख्य मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि अब तक कितने ठेकेदारों के सैम्पल्ज फेल हो चुके है और कितने ऐसे ठेकेदार हैं जिनके खिलाफ सरकार ने ऐक्शन लिया है और कितनो की सिक्योरिटी सरकार ने जब्त की है?

श्री अध्यक्षः इडसका रिप्लाई आ गया है।

श्री हरनाम सिंहः स्पीकर साहब, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जी० टी० रोड पर जो टांगरी का पुल बना है, क्या उसका भी कौई सैम्पल लिया गया है? अगर हां, तो क्या उसमें कोई सब–स्टैंडर्ड मैटीरियल पाया गया?

श्री अध्यक्षः यह औफ हैंड बताना मन्त्री जी के लिए पौसीबल नही है।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, जो वर्क की कम्पलीशन के बाद सैम्पल फेल हुए उनमे थोड़ा बहुत पैसा काट लिया गया। वहां पर जो एस० डी० ओ, ऐक्सीयन और एस० ईज० होते हैं उनकी भी कोई जिम्मेदारी होती है। क्या इनमें से किसी के खिलाफ कोई ऐक्शन लिया गया? दूसरे, क्या इसका कारण यह तो नही कि उस वक्त की सरकार और ठेकेदार मिले हुए थे?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, चार ऐक्सीयज के खिलाफ, 15 एस० डी० ईज० के खिलाफ और 17 जे० ईज० के खिलाफ ऐक्शन लिया गया यानी कुल मिला कर 36 अधिकारियों के खिलाफ ऐक्शन लिया गया है। उन पर 92,795 रुपए की रिकवरी का भी दंड डाला गया है। बहुत से लोगों के इंक्रीमैंटस भी स्टौप किए गए हैं और कइयों को रिकार्डिड वारनिग भी दी गई है।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि 156 नमूने कम स्तर के पाए गए। क्या ये काम रिजैक्ट कर दिए गए या दोबारा ठेकेदारों से करवाए गए? जो काम ठेकेदारों से दोबारा करवाए गए क्या उनमें से किसी के बारे में स्पैसिफिकली बताएंगे?

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मोड़ तोड़ कर बहुत बार पेश किया गया है। पुरानी सरकार के वक्त की यह शिकायत है और ऐसा भी सुनने में आया था कि उस वक्त के अधिकारियों और ठेकेदारों ने मिल कर कुछ गड़बड़ की थी। सरकार उसकी नए सिरे से इन्क्वायरी करवाने का आश्वासन देती है।

Allocation of Fund for the repair of roads

***1054. Comrade Harpal Singh :** Will the Minister of P.W.D. (B & R) be pleased to state—

(a) the total amount allocated for the repair of Roads in Tohana Constituency during the years 1987-88, 1988-89 and 1989-90; and

(b) the total amount spent out of allocated funds for the repair of roads during the period as referred to in part (a) above alongwith the Kilometre and the names of the roads thereof ?

Public Works Minister (Shri Om Parkash Bhardwaj) (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Year	Amount allocated	Amount utilised
1987-88	Rs. 23.05	Rs. 23.05

	lacs	lacs
1988-89	Rs. 24.25 lacs	Rs. 24.62 lacs
1989-90	Rs. 18.62 lacs	Rs. 15.77 lacs (Up to 1/90).

ANNEXURE 'A'

Statement showing the names of Roads> repaired in Tohana constituency- during the year 1987-88.

Sr.	Name of road			Improvements/Repairs	(Length in	Kms.)
No.		Renewal coat	Normal patch work	Heavy patch work	Wdg./Stg.	Raising
1.	Bhuna Uklana road		12.00			
2.	Dhani Sanchja link Road		3.19			
3.	Chamar Khera L/R		2.24			
4.	Dhani Gopal L/R		1 .00			

5.	Tohana Bhuna Section Chander to Bhuna Road		16.00			
6.	Bawan to Bosti road		2.75			
7.	Bosti to Sanyana road		2.00			
8.	Dhani Dulat link road		2.70			
9.	Dulat link road		0.60			
10.	Tohana Ratia to Vill. Zabtewala		0.45			
11.	Tohana Ratia to Vill. Nanheri		0..33			
12,	Manheri link road to Manheri school		0.17			
13.	Tohana Ratia to Vill. Manghera		2.10			
14.	Tohana Ratia to Vill. Rasoolpur		2.75			
15.	Pabra Bhuna road		5.00			

16.	Bhuna Dharsul road		5.00			
17.	Hisar --Barwa la -Toha na Road		24 . 73			
18.	Tohana Akalgarh road		5.05			
19.	Narwana-Uklana Bhuna road	4.00				
20.	Tohana Narwana Road		4.50			
21.	Tohana Ratia Road	1 .50	17 . 60			
22.	Dharsul Jakhal road	1.34	10.00			
23.	Tohana Sanyana road with its links	2.00	35.17			
24.	Tohana Chander road with its links		20.26			
25.	Links and approaches Hisar-Barwala-Tohana road		35 . 54			

26.	Links and approaches Tohana Ratia road		40 . 80			
27.	Links & approaches Dharsul Jakhal road		10.99			
28.	Links & approaches Narwana Uklana Bhuna road		9.00			
29.	Stg. Hisar-Barwala- Tohana				1.00	
30.	Stg. Dharsul-Jakhal Road				2.00	
31.	Tohana Rimatpura Road	3.00				
32.	Jamalpur to Kana Khera	4.00				
33.	Damkaura to Jamalpur Sheikhan RIy. Stn.	1 .62				
34.	Nagla to Laloda	2.41				

35.	L/R to Himatpura School	0.06				
36.	Kheri to Bhuna road	3.42				
	Total	23.35	271.92		3.00	

Statement showing the names of roads repaired in Tohana constituency during the year 1988-89.

Sr. No.	Name of road	Improvement/Repairs (Length in Kms.)				
		Renewal coat	Normal patch work	Heavy patch work	Wdg./Stg.	Raising
1.	Raising Bhuna Uklana Road					0.25
2.	Stg. Hisar-Barwala Tohana road	5.23			1.00	-
3.	Bhuna-Uklana road		12.00			
4.	Dhani Sanchla link road		3.19			
5.	Chamar Khera link road		2.24			
6.	Dhani Gopal link		1 .00			

	road					
7.	Bawan to Bosti road		2.75			
8.	Bosti to Sanyana road	2.00				
9.	Dhani Dulat link road		2.70			
10.	Dulat link road		0.60			
11.	Tohana Ratia to village Zabtewala		0.45			
12.	Dharsul Bhuna to Dhani Dulat	1.70				
13.	Tohana Ratia to village Nanheri	0.33				
14.	Nanheri link road to Nanheri School		0.17			
15.	Tohana Ratia to Manghera	2.10				
16.	Tohana Ratia road to Rasoolpur		2.75			
17.	Pabra Bhuna road		5.00			
18.	Bhuna Dharsul		5.00			

	road					
19.	Khairi Bhuna mad		3.42			
20.	Hisar--Barwala Tohana Road		24.73			
21.	Tohana Akalgarh road		5.05			
22.	Narwana-Uklana Bhuna Road	5.67	4.00			
23.	Tohana-Narwana road	4.00	4.50			
24.	Tohana Ratia road		13.60			
25.	Dharsul-Jakhal road		10.00			
26.	Tohana-Sanyana read with its links		35.17			
27.	Tohana Ratia to Khanauri road	1 .04				
28.	Tohana Chander road with its links	-	20.26			
29.	Links and approaches Hisar-Barwala-Tohana road		38.40			

30.	Links & approaches Tohana Ratia road		40.80			
31.	Links & approaches Narwana Uklana Bhuna road		9.00			
32.	Links & approaches Dharsual Jakhal road		11.47			
33.	Special repair on Dharsul- Jakhal road		2.00			
34.	A/M Hisar-Barwala- Tohana road			0.31		
35.	NM L & A Dharsul-Jakhal		1.34			
36.	Rainwali to Budhanpur	2.76				
37.	Udaipur to quarsimpura	I .60				
	Total: -	26.43	261.59	10.31	1.00	0.25

Statement showing the names of roads repaired

In Tohana constituency during the year 1989.90. (up to 2/90).

Sr. No.	Name of road	Improvements/Repairs (length in Kms.)				
		Renewal coat	Normal patch work	Heavy patch work	Wdg./Stg.	Raising
1.	Stg. Dharsul Jakhal road			8.50	1.00	
2.	Stg. Tohana Ratia road				1.00	
3.	Bhuna Uklana road	2.00	12.00			
4.	Dhani Sanchla link road		3.19			
5.	Chamar Khera link road		2.24			
6.	Dhani Gopal link road		1.00			
7.	Bawan to Bosti road		2.75			
8.	Bosti to Sanyana road		2.00			
9.	Dhani Dulat link		8.70			

	road					
10.	Dulat link road		0.60			-
11.	Zabtewala link road		0.45			
12.	Nanheri link road		0.33			
13.	Nanheri L/R to School		0.17			
14.	Manghera link road		2.10			
15.	Tohana Ratia to Rasoolpur		2.75			
16.	Pabra Bhuna road		5.00			
17.	Bhuna Dharsul road		5.00			
18.	Khairi Bhuna road		4.00			
19.	Hisar-Barwala-Tohana road		24 . 73			
20.	Tohana-Akalgarh road		5.05			
21.	Narwana-Uklana - Bhuna road	2.00	4.00			
22.	Tohana-Narwana	1.50	4.50			

	road					
23.	Tohana Ratia road	4.50	13.60			0.51
24.	Dharsul Jakhal road		5.00			
25.	Tohana Sanyana road with its links		35.17			
26.	Tohana Chander road, with its links		20.26			
27.	Links & approaches Hisar Barwala Tohana road	3.50	38.44			
28.	Links & approaches Tohana Ratia road		41 .80			
29.	Links & approaches Dharsul Jakhal road		11.47			
30.	Links & approaches Narwana -Uklana - Bhuna road		9.00			

31.	Tohana Akalgarh road		0.07			
32.	RID Bhuna-Uklana road		2.00			
33.	Tohana-Damkaura Nathuwal road	4.00				
34.	Hanswal to Gajuwala	3.00				
35.	Mamupur to Chuharpur and Navel			2.80		
	Total -	20.50	261.37	11.30	2.00e'	0.51

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मेरी कास्टिचुऐंसी के अन्दर सड्कों पर टाफियां लगाई गई हैं और वहां रिपेयर का काम बहुत कम दिखाई देता है। क्या वहां पर कोई सडक नही जिसकी रिपेयर के लिए कोट करने की जरूरत हो?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, इनकी कांस्टिचुऐंसी में 1987–88 मे 23 लाख 5 हजार रुपए, 1988– 89 में 34 लाख 62 हजार रुपए और 1988–89 में 15 लाख 77 हजार रुपए सड़कों की रिपेयर के लिए खर्च हुए। स्पीकर साहब, इसमें सारी चीज आ जाती है यानी नौर्मल पैच वर्क भी आ जाता है, हैवी पैच वर्क भी आ जाता है और रेजिंग भी आ जाती है।

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, माननीय मन्त्री जी ने रिन्युअल कोट, नौर्मल पैच वर्क और हैवी पैच वर्क के बारे में पूरी टेबल बना कर सदन के सामने रखी है। मन्त्री जी ने जो टेबल बना कर सदन के सामने रखी है उससे पता लगता है कि मेरी कास्टिचुऐंसी में किसी भी सड़क पर रिन्युअल कोट और हैवी पैच वर्क नहीं किया गया। इसके अन्दर नौर्मल पैच वर्क के बारे में बताया गया है उसके मुताबिक एक सड़क पर पहले साल पैच वर्क किया गया, उसी सड़क पर दूसरे साल किया गया और उसी सड़क पर तीसरे साल किया गया यानी एक ही सड़क पर लगातार तीन साल तक टाकिया लगाई गई। कोई हैवी पैच वर्क नहीं किया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मेरी कांस्टिचुऐंसी में कोई भी ऐसी सडक नही थी जिसको हैवी पैच वर्क के तहत रिपेयर करने की जरूरत थी?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, नौर्मल पैच वर्क और हैवी पैच वर्क में काफी फर्क होता है। हैवी पैच वर्क सरकमस्टासिज पर डिपैंड करता है और रिन्मुअल कोट का काम नौर्मली चार पांच साल के बाद किया जाता है, हर साल नहीं किया जाता।

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, एक सड़क पर लगातार तीन साल तक नौर्मल पैच वर्क किया जा रहा है उस पर रिन्युअल कोट क्यों नहीं किया जा रहा? इस तरह से क्यों पैसा वेस्ट कियो जा रहा है? मैं यह जानना चाहता हूं कि एक ही सडक

पर लगातार तीन साल तक नौर्मल पैच वर्क क्यों किया जा रहा है उस पर हैवी पैच वर्क या रिन्युअल कोट क्यों नहीं किया जा रहा है?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, मैंने पहले भी बताया है कि रिन्युअल कोट चार पांच साल के बाद किया जाता है हर साल नहीं किया जाता। जो नौर्मल पैच वर्क है वह हर साल ही करते रहते हैं। जहां पर कोई सड़क थोडी बहुत टूट जाती है उसको रिपेयर किया जाता है।

श्री रणजीत सिंहः स्पीकर साहब, माननीय मंत्री जी ने जो सूची सदन की टेबल पर रखी है उसके अनुसार वर्ष 1987–88 में 23.05 लाख रुपए सड्कों की मुरम्मत के लिए निर्धारित किए गए और उसी साल में सारे पैसे खर्च भी कर दिए गए। उसके बाद वर्ष 1988–89 में 24. 25 लाख रुपए निर्धारित किए गए और 24.62 लाख रुपए खर्च किये गए। फिर वर्ष 1989–90 में 18. 62 लाख रुपए निर्धारित किए गए और उसमें से 15. 77 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 1988–39 में निर्धारित किए गए पैसे से ज्यादा पैसा खर्च हो गया और वर्ष 1989– 90 में जो पैसा निर्धारित किया गया था उससे भी कम खर्च हुआ है इसका क्या कारण है?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, कई बार सड्कों की कंडीशन बहुत वर्स्ट हो जाती है उस कंडीशन को

देखते हुए हम पहले पैसा फिक्स करते हैं लेकिन उससे ज्यादा पैसा भी खर्च हो जाया करता है। भाई रणजीत सिंह जी ने पूछा है कि वर्ष 1989– 90 में कम पैसा खर्च क्यों किया गया है? हमने इस साल के लि।? 18.62 लाख रुपए निर्धारित किए थे और उसमें से 15 77 लाख रुपए जनवरी 1990 तक खर्च हो चुके हैं। मैं समझता हूं कि इस सात्र के चूकिं दो महीने अभी बाकी हैं इसलिए यह सारा पैसा खर्च हो जाएगा।

श्री हरनाम सिंहः स्पीकर साहब, 1988 में जो फ्लड आया था और उसमें जो सड़कें टूट गई थीं उनके बारे में मैंने हाउस के अन्दर बार बार जिक्र किया है। हिसार से लुधियाना तक मेन रोड है और उस पर हैवी ट्रैफिक है। वह रोड बिल्कुल डैमेज हो चुका है। इसके अलावा मेरे हल्के में कुछ ऐसी सड़कें हैं जो बिल्कुल टूट गई हुँ। इस बारे में मैंने बार बार हाउस में सवाल उठाया है। मेरे कहने के बावजूद भी उन सड्कों पर नौर्मल पैच वर्क लागू कर दिया जाता है जबकि वे डैमेज हो चुकी हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की नजर उन सड्कों की तरफ भी है जो बिल्कुल डैमेज हो चुकी हैं जिनका यह भी पता नहीं कि वहां पर सड़क भी थी क्योंकि वह फ्लड में बह चुकी हैं?

Mr. Speaker : No need to reply this question.

Demands of Employees

***1063. Shri Hira Nand Arya :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any

representation/memorandum in regard to the demands of employees has been received during the year 1989-90; if so, the details thereof togetherwith the action taken thereon ?

उप–मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): जी हां। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1989– 90 के दौरान प्राप्त सरकारी कर्मचारियों की मुख्य मांगों और उन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा इस प्रकार है–

1 वेतनमानों में विसंगतियां दूर करना

विसंगतिया दूर करने सम्बन्धी प्रतिवेदन इस प्रयोजनार्थ गठित वेतन विसंगति निवारण आयोग को भेजे गये थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

2. मकान किराया भत्ता

विभिन्न संगठनी ने पंजाब पद्धति पर मकान किराया भत्ता देने की मांग की है। इस मांग को स्वीकार करना सम्भव नही है।

3. नियत चिकित्सा भत्ता /प्रतिपूतिं

नियत चिकित्सा भत्ता बढ़ाने/चिकित्सा प्रभारों की प्रतिपूर्ति की सुविधा को बहाल केरने के लिये कर्मचारियों के प्रतिवेदनों पर सरकार विचार कर रही है। तथापि, नियत चिकित्सा भत्ते की दरें 2– 12– 1988 से 200/– रुपये से बढ़ाकर 360/– रुपये प्रतिवर्ष कर दी गई है।

4. बोनस देना

पहले की भांति उन सभी कर्मचारियों के लिए 27 दिनों की परिलब्धियों के बराबर बोनस घोषित कर दिया गया है, जो किसी उत्पादन आधार बोनस स्कीम या किसी अन्य बोनस स्कीम अथवा अनुग्रही स्कीम के अन्तर्गत नही आते। तथापि, राज्य की वित्तीय कठिनाई को ध्यान में रखते हुए यह राशि सम्बन्धित कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखों में जमा करवा दी जायेगी।

5. समयबद्ध पदोन्नति

राज्य सरकार ने समय मान में स्टैगनेट करने वाले कर्मचारियों की कठिनाईयों को कम करने के लिये समयबद्ध ''ऐडवान्समैंट स्कीम'' शुरू करने का निर्णय लिया है।

6. गर्मी तथा सर्दी की वर्दियों की दरें भड़ाना

गर्मी की टैरीकौट की वर्दी की दरें दिनाँक 7– 11– 1988 से 300/– रुपये से बढ़ाकर 350/– रुपये और सर्दी की

वर्दी की दरें दिनांक 1– 3– 1988 से 280/– रुपये से बढ़ाकर 340/– रुपये कर दी गई है।

7. कर्ज देने के लिए आहरण तथा वितरण अधिकारियों क शक्तियां देना

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ ने मांग की है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को विवाह के लिए तथा भवन–निर्माण के लिए अग्रिम कर्जे देने के प्रयोजनार्थ आहरण तथा वितरण अधिकारियों को शक्तियां सौंपी जायें। यह कार्य वर्ष 1972–73 में सभी विभागाध्यक्षों को सौंप दिया गया था किन्तु यह स्कीम कामयाब नही हो सकी तथा वर्ष 1974– 75 में यह शक्ति पुनः वित्त विभाग को दे दी गई।

8. बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता और निःशुल्क शिक्षा

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी सघ ने 50/– रुपए मासिक की दर से बच्चों के लिये शिक्षा भत्ता देने की मांग की है। राज्य सरकार 8वीं कक्षा तक के सभी बच्चों और 12 वीं कक्षा तक लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा पहले ही दे रही है।

9. श्रेणी चतुर्थ के कर्मचारियों को अधिक समय मान देना

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियो, कें लिये, (1) 750– 1200, (2) 810– 1440 और (3)

950–1500 रुपये के वेतनमानों– की मांग की है। यह मांग चौथे वेतन आयोग की सिफारिशो के अनुरूप नहीं है क्योंकि आयोग ने वेतनमानो की संख्या कम करने पर बल दिया है।

10. चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति

हरियाणा राज्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सघ ने माग की है कि श्रेणी चतुर्थ के दसवी पास कर्मचारियों, जिनकी पांच वर्ष की सेवा हो चुकी है, को पदोन्नत किया जाये और उच्चतर पदों पर सीधी नियुक्ति की प्रथा बन्द कर दी जाये। विभाग में रिक्ति होने पर पदोन्नति होती है। अपितु चतुर्थ श्रेणी के उच्चतर पदों यथा अभिलेख वाहक, दफ्तरी आदि के पदों पर सामान्यतया सीधी भर्ती नहीं की जाती।

11. युग्म पद संज्ञा वाले पदों पर नियुक्ति पर रोक

यह मांग की गई है कि दो पदों यथा सेवादार एवं चौकीदार आदि के पदों पर नियुक्ति करने पर रोक लगाई जानी चाहिये। ऐसे दो पदो– पर रोक लगाना वित्तीय दृष्टि से बांछनीय नहीं।

12 दिहाडदारों आदि को नियमित करना

दिहाड़दारों, तदर्थ कर्मचारियों तथा कार्य–प्रभारित कर्मचारियों को नियमित करने के सम्बन्ध में मांग का, वर्ष 1988 की सिविल रिट याचिका संख्या 72 में बचाव तथा हरियाणा उच्च

न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध दायर की चाई विशेष अनुमति अपील पर प्रतिष्ठित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले निर्णय के दृष्टिगत, परीक्षण किया जाएगा। तथापि 31– 12– 1986 को चार वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कार्य प्रभारित कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया था।

13. वार्षिक गोपनीय रिपोर्टो का लिखना समाप्त करना

सरकार की वर्तमान कार्य प्रणाली में वार्षिक गोपनीय रिपोर्टो के लिखने को समाप्त करने सम्बन्धी कर्मचारियों की मांग को स्वीकार करना सम्भव नहीं है।

14. अनुच्छेद 311 (2) को हटाना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) को हटाने सम्बन्धी मांग मानने के लिये राज्य सरकार सक्षम नहीं है।

15. 10 प्रतिशत कटौती को हटाना

यह मांग की गई है कि पदों को भरने पर लगाई गई 10 प्रतिशत की कटौती को हटा दिया जाए। राज्य सरकार की वित्तीय कठिनाइयों के दृष्टिगत, इस मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1989–90 के दौरान प्राप्त सरकारी कर्मचारियों की मुख्य मांगे और उन पर की गई कार्यवाही का जो ब्यौरा है उसके हैडिंग ''वेतनमानों में

विसंगतियां दूर करना'' के जवाब में उन्होंने बताया है कि ''आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है''। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि परीक्षण कब तक पूरा हो जाएगा और क्या इस बारे में ये कोई समय निर्धारित करेंगे? दूसरे सरकार ने समयबद्ध प्रमोशन का जो निर्णय लिया है यह बहुत अच्छा किया है लेकिन इसमें थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है। कुछ अधिकारियों को इस तरह की प्रमोशन 5 और 12 साल के बाद दी जाती है। जबकि कर्मचारियों के लिए इसे 10 और 20 साल की सेवा अवधि के बाद देने का फैसला किया गया है। यह सेवा अवधि सभी के लिए 8 और 16 साल की कर दें ताकि अधिकारियों और कर्मचारियों में कोई डिस्पैरिटी न हो।

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, जहां तक वेतनमानों में विसंगतियां दूर करने की बात है उसके सम्बन्ध में आयोग की जो रिपोर्ट आई है वह काफी अर्से से विचाराधीन है। मैं हाउस को यह आश्वासन देता हूं कि इस वर्ष के मई मास के अन्त तक उस पर अधिकारियों द्वारा विचार समाप्त कर लिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक टाईम बाउन्ड प्रमोशन की बात है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि जो टाईम बाउन्ड प्रमोशन अधिकारियों को दी जाती है उसमें केवल तीन कैटेगरी आती हैं और तीन कैटेगिरी में डी० एस० पी०, इन्जीनियर्ज और डाक्टर्ज हैं। इन केटेगरीज को भी उनका पिछला रिकार्ड देखकर

ही टाईम बाउन्ड प्रमोशन दी जाती है लेकिन कर्मचारियों को जो 10 और 20 माल के बाद टाईम बाउन्ड प्रमोशन देने का निर्णय लिया गया है, इसका हमने नया नाम रखा है 'time-bound advancement scheme'. एम्पलाईज की जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सब को यह प्रमोशन दी जाएगी और उनको यह प्रमोशन देते समय रिकार्ड भी नही देखा जायेगा और न किसी की कोई सर्विस बुक वगैरा देखी जायेगी। जिन कर्मचारियो को 10 और 20 साल एक ही पद पर काम करते हुए हो गए है उन सब को ये इन्क्रीमैंट दी जाएंगी।

श्री रणजीत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया है कि कर्मचारियों की तरफ से 15 डिमांडज दी गई थी। मैं जानना चाहता हूं कि इनमें से उनकी कितनी मांगों को मान लिया गया है और जो मांगें मान ली गई हैं उनकी वजह से कितनी फाईनैशियल इम्पलीकेशन आएगी? दूसरे मैं यह भी जानना चाहता हू कि जो मांगें उनकी माननी रहती हैं क्या सरकार उनको मानने के लिए तैयार है?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, जो टाईम बाउन्ड प्रमोशन की मांग है, एक तो वह मान ली गई है। इस मांग के मानने से सरकार पर तकरीबन 5 करोड़ रुपये की लायबिलिटी पड़ेगी। दूसरी डिमांड बोनस की स्वीकार की है। पिछले साल सरकार ने कर्मचारियों की जितनी यूनियनें है उनसे बात की थी। इन कर्मचारियो का कोई एक संघ तो है नही। जिन कर्मचारियों के

संघों से बात की है वे हैं हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ, हरियाणा सबोर्डीनेट सर्विसिज/फैडरेशन, हरियाणा स्टेट क्लास– 4 गवर्नमैंट ऐम्पलाईज यूनियन, हरियाणा कर्मचारी संघर्ष समिति और हरियाणा पी० डल्यू० डी० (बी० एण्ड आर०) मिनिस्ट्रियल स्टाफ वैल्फेयर ऐसोसिएशन। इन सभी यूनियनों के प्रतिनिधि मुझ से मिले थे। मेरा उनके साथ बड़े विस्तार के साथ विचार–विमर्श हुआ था। इन कर्मचारियो की जितनी मांगें हैं उन सभी पर विचार हुआ था। कर्मचारियो की दो मांगें मुख्य थी। एक तो उनकी मुख्य मांग यह थी कि यदि भारत सरकार के पैटर्न पर उन्हैं बोनस दे दिया जाता है, तो कर्मचारियो की काफी हद तक तसल्ली हो जायेगी। यद्यपि हमारी वित्तीय स्थिति इसके लिए अलौ नही करती थी। क्योंकि इस मांग के मानने पर तकरीबन 27 करोड रुपये का बोझ सरकार पर पड़ता है लेकिन इसके बावजूद भी हमने कर्मचारियों की यह मांग स्वीकार कर ली। हमने अपने कर्मचारियों को पिछले साल भी बोनस दिया था। अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि इस बार भी बजट में हमने कर्मचारियों के लिए बोनस देने की घोषणा की है लेकिन वित्तीय कठिनाई को देखते हुए हमने ज्यका यह पैसा उनके जी० पी० एफ० में डिपौजिट करने की बात की है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा कर्मचारियों को जो स्वास्थ्य अलाउंस दिया जाता था उसको भी बढ़ाया है। वर्दियों में भी कुछ सुधार किया है। चिकित्सा भत्ता कर्मचारियों को पहले 200 रुपये मिलता था उसको 2– 12–88 से बता कर 360 रुपये किया है। इससे सरकार पर 3 करोड़ रुपये का बोझ पड़ता है। कुछ कर्मचारियों को गर्मी

की वर्दी के लिए 300 रुपये दिए जाते थे उसको 300 रुपये से बढ़ा कर 350 रुपये किया गया है और इसी प्रकार से सर्दी की वर्दी के लिए जहां पहले कर्मचारियों को 280 रुपये दिए जाते थे अब उसको बढ़ा कर 840 रुपये किया है। अध्यक्ष महोदय, 35 करोड़ के करीब की ऐसी लायबिलिटीज है जो हमने स्वीकार की है। कर्मचारियों की मकान किराये भत्ते की मांग है जो कि रह गई है। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पंजाब सरकार के कर्मचारियों के समान मकान किराया भला दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, यदि हम कर्मचारियों को पंजाब के समान मकान किराया भत्ता दें तौ सरकार पर 16 करोड़ रुपये का ऐक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा। अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हुए फिलहाल इस खर्च को हम वहन नही कर सकते इसलिए इस मांग को स्वीकार करने के बारे मे हमने अपनी मजबूरी जाहिर की है।

श्री राम विलास शर्माः अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि कर्मचारियों की जो मांगें स्वीकृत की गई हैं क्या उनमें डी० एस० पीज० की वह मांग भी शामिल है जिसके तहत हमने डी० एस० पीज० को एस० डी० एम० के बराबर वेतन देने का फैसला किया था ?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, डी० एस० पीज०, इन्जीनियर्ज और डाक्टर्ज की यह डिमाण्ड थी कि उन्हें एच० सी० एस० के बराबर वेतनमान दिये जाएं। शुरू में उनकी पैरिटी चूकि एच० सी० एस० के साथ थी। इसलिए वे चाहते थे

कि फोर्थ पे–कमीशन कीं रिपोर्ट की इम्पलीमैंटेशन के समय जो विसंगति हो गई थी. उसे दूर किया जाए। इस पैरिटी को दोबारा से लाने के लिए इन तीन कैटेगरीज को टाईम–बाउन्ड प्रमोशन देने का जो फैसला किया गया है वह इनमें शामिल नही **डा० मंगल सैनः** अध्यक्ष महोदय, माननीय उप–मुख्य मन्त्री महोदय ने कर्मचारियों की 15 डिमांडों का उल्लेख किया है जिनमें सै कुछ को इन्होंने स्वीकार कर लिया है और कुछ में वित्तीय कठिनाई बताई है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्य मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हू कि डिमाण्ड नम्बर–8, जो चिल्ड्रज ऐजूकेशन एलाऊंस या फ्री ऐजूकेशन के बारे में है, पर क्या फैसला लिया है? स्पीकर सर, इसके अलावा डेली वेजर्ज को रेगुलर करने बारे, सकैपिंग औफ ए.० सी० आर्ज० तथा सकैपिंग औफ आर्टिकल 311 (2) के बारे में सरकार ने क्या किया है और हाउस लोन्ज वगैरा की पावर्ज विदड्रा क्यों की हैं?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, डाक्टर साहब ने डिमाण्ड नम्बर– 8 के बारे में पूछा है। क्लास– 4 कर्मचारियों की यह मांग थी कि बच्चों की ऐजूकेशन के लिए हमें 50/– रुपये ऐक्स्ट्रा दिए जाएं। इस बारे में सरकार ने कहा है कि मिडल क्लास तक के सभी बच्चों की फीस हरियाणा में मुआफ है और लड़कियों के लिए 10वीं तक शिक्षा निःशुल्क है। इस बात को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय किया है कि इसके अलावा और कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। (विघ्न) डाक्टर साहब ने

दो–तीन बातें और भी पूछी हैं। अनुच्छेद 311(2) को हटाने के बारे में मैं डाक्टर साहब को बताना चाहूंगा कि यह कानून केन्द्र सरकार का है हरियाणा सरकार का नहीं है इसलिए हरियाणा सरकार इसको हटाने में सक्षम नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह हाउस लोन्ज वगैरा के अधिकार देने की जो बात थी वह भी मैं सदन की सूचना के लिए बताना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, हमने यह तजुर्बा किया था लेकिन इस तजुर्बे के दौरान कई ऐसी बातें नोटिस में आई कि बहुत अधिक कर्मचारी ऐसे होते हैं जो हाउस लोन्ज और शादी लोन्ज वगैरा की मांग करते हैं। इस परपज के लिए रकम सीमित होती है जबकि मांग बहुत ज्यादा होती है। डिस्ट्रिक्ट लैवल पर जिसको भी हमने इस कार्य के लिए अथोराईज किया वे कुछ कर्मचारियों को लोन देने के बाद अपने चहैंतों को लोन्ज देते हैं और बाकी लोग रह जाते हैं। इस प्रकार की शिकायतें बहुत ज्यादा आई जिस कारण हमने उन से यह पावर्ज विदड्रा कर ली और यह काम फाईनैस डिपार्टमैंट को दे दिया है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी को यह बताना चाहता हूं कि कान्फैड में बहुत से पढ़े–लिखे कर्मचारी थे जिनकी 10– 12 साल की नौकरी हो चुकी थी लेकिन उन्हैं नौकरी से हटा दिया गया। क्या ऐसे कर्मचारियों को वापिस सेवा में लेने के बारे में सरकार विचार कर रही है?

Mr. Speaker : Captain Sahib, it has no concern

with it. The appeal is pending in the Supreme Court.

श्री हरनाम सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय उप–मुख्य मन्त्री महोदय. की यह बात ठीक है कि हम धारा 311(2) को सक्रैप नहीं कर सकते परन्तु सरकार यह तो कर सकती है कि कर्मचारियों पर इस धारा का उपयोग न करे। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्य मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि बिजली विभाग में 12,000 कर्मचारियों के खिलाफ इस धारा के तहत जो केस चल रहैं हैं क्या सरकार उन केसों को खत्म करेगी?

10.00 बजे

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, बिजली बोर्ड के बारे में तो मैं अभी नहीं बता सकता कि कितने कर्मचारियों के विरुद्ध बोर्ड ने इस धारा का प्रयोग किया परन्तु सरकार द्वारा इस धारा को शायद ही एक–दो बार प्रयोग में लाया गया हो। यह धारा कम–से–कम प्रयोग की गई है।

श्री किरपा राम पुनियाः स्पीकर सर, ऐम्पलाईज की हाऊस रैंट की डिमाण्ड बहुत जैनुअन है। उप–मुख्य मन्त्री जी ने बताया कि सरकार फिलहाल इस मांग को मानने में अक्षम है क्योंकि फाईनैशियल डम्पलीकेशन्ज की वजह से यह मांग नहीं मानी जा सकती लेकिन आज महंगाई के जमाने में गरीब मुलाजिमों को बड़ी भारी दिक्कत है। इसलिए मैं उप–मुख्य मन्त्री

महोदय से जानना चाहूंगा कि हाउस रैट बढ़ाने का कब तक विचार है?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, इसके लिए समय निर्धारित नहीं किया जा सकता लेकिन जब भी हमारी वित्तीय स्थिति अलौ करेगी तो हम कुछ–न–कुछ सुविधा देने की कोशिश करेंगे।

कामरेड हरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, उप–मुख्य मन्त्री ने ऐम्पलाईज की डिमाण्ड नम्बर 12, 13, 14 का जो जवाब दिया है मैं आपका ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट की डायरैक्शन के हिसाब से 240 दिन की सर्विस वाले कर्मचारियों को पक्का करना पड़ता है लेकिन सरकार उस डायरैक्शन के खिलाफ हाईकोर्ट में गई और हाईकोर्ट ने सरकार के खिलाफ डिसिजन दे दिया। हाईकोर्ट के उस डिसिजन के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की हुई है। फिर उप–मुख्य मन्त्री महोदय ने बताया कि सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है लेकिन क्या वे बतायेंगे कि सरकार कोर्ट के खर्चे का बोझा क्यों उठा रही है? क्या सरकार उन्हैं रैगुलर करने के बारे में विचार करेगी ताकि सरकार को अनावश्यक वित्तीय बोझा न उठाना पड़े? इसके अलावा, स्पीकर साहब, धारा 311 (2) और ऐस्मा जैसे कानून को हटाने में सरकार पर कोई बोझा नहीं पड़ता है। क्या सरकार इन्हैं लागू न करने का आश्वासन देगी?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, उस कानून को हटाने में हम सक्षम नही है यह हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात है, उसमें हमें जाने का अधिकार है और सुप्रीमकोर्ट बना ही इसीलिए है।

Comrade Harpal Singh : a point of order, Sir.

Mr. Speaker : Please take your seat as no point of order can be raised during questions hour.

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था कि इस धारा का कम से कम उपयोग हुआ है और मैं हाउस को आश्वासन देना चाहता हूं कि भविष्य मैं भी इसका कम से कम प्रयोग किया जाएगा। कामरेड साहब ने एक बात और कही है कि कोर्ट लिटिगेशन के खर्च का बोझ सरकार पर पड़ता है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि हम आम तौर पर कोर्ट में नही जाते लेकिन अगर कोई कर्मचारी कोर्ट में चला जाता है तो अपील का हक सरकार को भी हासिल है और इसीलिए हमें सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ा।

डा० मंगल सैनः स्पीकर साहब, यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। गुप्ता जी ने जवाब देते हुए बताया कि धारा 311 (2) भारत सरकार ने बनाई है और हरियाणा सरकार इसको खत्म करने में लाचार है। उन्होंने यह आश्गसन भी दिया है कि इसका प्रयोग कम से कम करेंगे। मैं आपके द्वारा उप–मुख्य मन्त्री जो से

जानना चाहूंगा कि जैसे पहले राजीव महोदय केन्द्र में वर्किंग क्लास के विरोधी थे क्या ये भी वैसा ही बनना चाहते हैं?

Mr. Speaker : This is not relevant.

डा० मंगल सैनः स्पीकर साहब, वहां हमारी अपनी सरकार है और हमारे मे से ही वहां पर कुछ लोग गए हुए हैं। क्या सरकार केन्द्र सरकार को ऐप्रोच करेगी कि इस क्लाज को ठीक कर दिया जाए?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अब जो केन्द्र में नई सरकार बनी है उसमें? यह विभाग श्रम मन्त्री जी के पास है। वे मन्त्री जी चूकि पूरी तरह से अपने कर्तव्य के प्रति सजग है इसलिए मुझे इसमें जाने की जरूरत नही। अगर वे ठीक समझेंगे तो सौर करेंगे और यदि वे इस धारा को समाप्त कर देते हैं तो 'हम उसका स्वागत करेंगे।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Now the List of Starred Questions for today will be taken up.

Science classes in Govt. College, Hodel

***1071. Shri Udali Bhan :** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to start Science classes in the Govt. College, Hodel during the year, 1990 ?

शिक्षा तथा विकास मन्त्री (श्री हुकम सिंह):

(ए) नही।

(बी) प्रश्न ही उत्पन्न नही होता।

श्री उदय भानः स्पीकर सर, पहले शिक्षा मन्त्री महोदया ने हाउस में ऐश्योर किया था कि विज्ञान की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी लेकिन वे अब तक शुरू नहीं की गई। क्या मंत्री जी बताएंगे कि ये कक्षाएं कब तक शुरू करेंगे?

श्री हुकम सिंहः स्पीकर साहब, यह पहले प्राइवेट कालेज था, इसमें कुल 10 कमरे थे। तीन कमरे तो बिछल ही कन्डैम्ड थे और तीन कमरे पीग्र डब्ल्यू० डी० ने अन–सेफ डिक्लेयर कर दिये थे। हमने इनको 4 लाख रुपये इस साल दिये हैं। वे कमरे छत तक पहुंच चुके है। जब वे मुकम्मल हो जायेंगे तो साईस क्लासिज चालू कर दी जायेंगी।

श्री रणजीत सिंहः स्पीकर साहब, मैं अपने आदरणीय मंत्री महोदय से एक बात जानना चाहता हू। इनकी तरफ से जो जवाब यहां पर आया है, उसमें थोड़ी सी शंका है, या तो इसमें मिस्टेक हो गयी है या कोई और बात है। इंगलिश में तो लिखा है

"Yes, depending upon the completion of the building which is under construction."

लेकिन हिन्दी में लिखा है, ''नही, प्रश्न ही उत्पन्न नही होता।''

श्री हुकम सिंहः स्पीकर साहब, गलती से सवाल नं० 1060 का जवाब यहा लग गया है। अंग्रेजी में जो जवाब लिखा गया है वह सही है और वह इस प्रकार है, ''हा यह भवन निर्माण पूरा होने पर निर्भर है जो इस समय निर्माणाधीन है।''

श्री रणजीत सिंहः चलो, इनकी यह बात ठीक है कि गलती हो गयी। इनका एक जवाब ठीक होगा। इन्होने यह कहा है कि साईंस क्लासिज का चालू होना बिल्डिग की कम्पलीशन पर डिपैड करता है। मैं इनसे यह जानना चाहूंगा कि टोटल साईंस क्लासिज के लिये कितने कमरे चाहिये, कितने कालेजिज से साईंस क्लासिज शुरू करने के लिये रिप्रेजैटेशन आये हुए है, सरकार ने कितनों को मंजूरी दी है और कितनी की मांग अभी अंडर कंसीड्रेशन है?

श्री हुकम सिंहः स्पीकर साहब, मैं इनकी बात समझा नही।

Mr. Speaker : Mr. Ranjit Singh. This question relates to Hodel only.

श्री उदय भानः मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि यह बिल्डिंग जो अभी अधूरी पड़ी है, यी कब तक पूरी हो जायेगी और क्या साईंस क्लासिज जल्दी ही शुरू

होंगी क्योंकि हसनपुर हथीन और फिरोजपुर झिरका आदि ये तीनों क्षेत्र इसी कालेज पर डिपैड करते हैं और लड़कों के साईस पढ्ने के लिये कोई दूसरा कालेज नहीं है। क्या मन्त्री जी इस कालेज की बिल्डिग को जल्दी ही पूरा करवाने का आश्वासन देंगे?

श्री हुकम सिंहः स्पीकर साहब, मैंने पहले ही अर्ज कर दिया है कि पी० डब्ल्यू० डी० यह भवन बनाने जा रही है। यह भवन छत तक पहुंच चुका है। जल्दी ही इसके पूरा होने की सम्भावना है। इसके अलावा, स्पीकर साहब, रणजीत सिंह जी ने जो सवाल किया था, मैं उसको उस समय समझ नहीं पाया था लेकिन अब मैं उनका भी जवाब आपकी इजाजत से देना चाहता है। इस साल 5 कालेजों में साईंस क्लासिज चेलाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

श्री भगवान सहाय रावतः मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस कालेज में इससे पूर्व कभी साइंस क्लासिज शुरू करने का आदेश सरकार की तरफ से हुआ था? अगर हुआ था तो उसको इम्पलीमैंट क्यों नही किया गया जबकि यही पर पूरे जिले में एकमात्र गवर्नमैंट कालेज है और यहां पर साईंस क्लासिज की जरूरत बहुत ज्यादा है?

श्री हुकम सिंहः स्पीकर साहब, मैं पहले ही इस बारे में अर्ज कर चुका हूं। जब पहले वहां पर बिल्डिग ही, नही थी तो साईंस क्लासिज कैसे शुरू की जाती?

श्री बनारसी दास चौशाला: स्पीकर साहब, मेरा हल्का कलायत पिछले 4–5 इलैक्शन्ज से विपक्ष का हल्का रहा है। जब महैंन्द्र प्रताप सिंह जी की पार्टी की सरकार थी, उसने चूंकि बहुत गजब ढाए थे इसलिये वहां पर कोई तरक्की नहीं हो सकी। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वहां पर भी कोई टैन प्लस टू स्कूल या कोई कालेज बनाने की सम्भावना है या ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

श्री अध्यक्ष: इस सवाल का मेन सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री उदय भान: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या वह हाउस को अश्योर करेंगे कि अगले वर्ष से कालेज में साईंस क्लासिज शुरू हो जायेंगी?

श्री हुकम सिंह: मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि जल्दी ही वह भवन पूरा हो जायेगा और वहां पर साईंस क्लासिज शुरू हो (जायेंगी।

Degree College at Bhuna

***1060. Comrade Harpal Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to open a Degree College at Bhuna. district Hisar; and

(b) if so, the time by which the said College is likely to be opened?

शिक्षा तथा विकास मन्त्री (श्री हुकम सिंह):

(ए) नहीं।

(बी) प्रश्न ही उत्पन्न नही होता।

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, भूना कस्बा मेरे टोहाना हस्के में पड़ता है और वहां पर अभी शूगर मित्र बननी शुरू हुई है। बहुत ही बैकवर्ड एरिया है। वहां की आबादी काफी बड़ी है। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि, भूना की पंचायत अमर सरकार को जमीन मुहैया कर दे, तो क्या सरकार वहां पर कालेज खोलने के लिये विचार कर सकती है क्योंकि उसके आस–पास कोई डिग्री कालेज नहीं है।

श्री हुकम सिंहः स्पीकर साहब, वहां की पंचायत ने 1980 में भी यह माम की थी कि वहां पर एक डिग्री कालेज शुरू किया जाये और कहा था कि उसके लिये जमीन वे देंगे और भवन भी वे देंगे। लेकिन जब डिपार्टमैंट के औफिसर्स वहां पर गये तो वहां पर कोई भवन नही था। उन्होंने यह कहा कि दो कमरे हम किसी चौपाल में दे देंगे और दो कमरे किसी पंचायत घर में दे देंगे। इस तरह से कालेज नहीं चल सकता। जब तक कालेज की बिल्डिग पूरी न हो, तब टक कालेज नहीं चलं सकता।

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने 1980 की बात बताई है। उसके बाद आज 10 साल बीत गये हैं। वहां की पंचायत आज भी जमीन देने के लिये तैयार है। देहात की जनता के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेवारी है। मैं मन्त्री महोदय से इस बारे में आश्वासन चाहूंगा कि भूना की पंचायत अगर भवन न सही तो जमीन ही अगर प्रोवाइड कर दे तो क्या सरकार वहां–पर कालेज खोलने फर विचार करेगी?

श्री हुकम सिंहः अध्यक्ष महोदय, 1985 में पंचायत की तरफ से मांग आई थी। इस बारे में पच्चीस डिमांडज पंचायतों की तरफ से और हमारे विधायक साथियों की ओर से आई हुई हैं। सरकार उन पर विचार कर रही है कि कालेज कहां खोला जाए लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो मैं जनरल क्वैश्चन कर लेता हूं। इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में तो नहीं है, मेरा तो जनरल क्वैश्चन है। मैं अपने एरिया के बारे में सवाल पूछ लेता हूं।

Mr. Speaker : No please. This question relates only to Bhuna. I will not allow any supplementary relating to other districts.

कामरेड हरपाल सिंहः क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कि किसी जगह कालेज खोलने का क्राइटेरिया क्या है

और अगर किसी जगह उस क्राइटेरिया या रिक्यायरमैंट को पूरा कर दिया जाए तो क्या वहां पर कालेज खोल दिया जाएगा ?

श्री हुकम सिंहः अध्यक्ष महोदय, क्राइटेरिया यह है कि कालेज के लिये पन्द्रह एकल–जमीन चाहिए इसके अलावा अगर वहां पर बिल्डिंग बना कर दे दी जाए तो कालेज खोल दिया जाता है।

कामरेड हरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, अगर कॉलेज की बिल्डिंग बन जाए फिर तो कालेज हम खुद ही चला लेंगे।

श्री रणजीत सिंहः मन्त्री जी ने अभी बताया है कि 25 पंचायतों से कालेज खोलने के बारे मे रैज्योल्यूशंज आ चुके हैं जिन पर सरकार गौर कर रही है। ये रैजोल्यूशंज 1986 से पहले आए हैं और यह सरकार 1987 में आई। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987 के बाद सरकार ने कितने कालेज सैक्शन किए और बाकी कितने और करने जा रही है?

श्री हुकम सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरे पास 25 कालेजिज की डिमाण्डज पैडिंग हैं लेकिन इस बारे मे अभी निर्णय नहीं लिया गया है कि कहां पर कालेज खोला जाएगा।

श्री बलबीर सिंह चौधरीः क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि हरियाणा के अन्दर कितने कालेज खोले गए है, किस आधार पर कालेज खोले गए हैं और भूना में कालेज न खोलने के क्या कारण हैं?

श्री अध्यक्षः कारण तो मन्त्री महोदय ने बता दिए है कि वहां पर जमीन नही हैं और बिल्डिंग नहीं है।

श्री भगवान सहाय रावतः क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अगर हथीन में पन्द्रह एकड़ जमीन दे दी जाए और बिल्डिग बना दी जाए तो क्या वहां पर कालेज खोल दिया जाएगा?

श्री हुकम सिंहः अध्यक्ष महोदय, ठीक है, हथीन की डिमाण्ड आई हुई है। अगर वहां पर पन्द्रह एकड़ जमीन मिल जाए और बिल्डिग बना दी जाए तो वहां पर कालेज खोल दिया जाएगा।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः स्पीकर साहब, भूना के लोग पच्चीस एकड़ जमीन और बिल्डिग बनाकर देने को तैयार हैं। क्या वहां पर कालेज बना दिया जाएगा?

श्री हुकम सिंहः स्पीकर साहब, अभी तक तो मदान साहब ने कोई डिमाण्ड भेजी ही नहीं है।

श्री भागी रामः अध्यक्ष महोदय, पिछले सैशन के दौरान बहन सुषमा जी, जो उस समय शिक्षा मन्त्री थी, ने इस सदन में आश्वासन दिया था कि अगले साल मतलब यह है कि इस साल ऐलनाबाद में कालेज खोल दिया जाएगा। क्या मन्त्री जी उस आश्वासन को पूरा करेंगे?

श्री हुकम सिंहः अध्यक्ष महोदय, ऐलनाबाद की मांग आई हुई है और उस पर हम विचार कर रहैं हैं।

श्री आत्मा सिंह गिलः अध्यक्ष महोदय, मैं पच्चीस एकड़ जमीन दे दूंगा और बीस लाख रुपया भी दे दूगा। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि मेरे यहां कालेज खोल दिया जाएगा ?

श्री अध्यक्षः गिल साहब, जब आप कुछ देगे तो ये देख लेगे।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कालेज खोलने का क्राइटेरिया माग का आधार नही है? पिछले. सैशन में मन्त्री महोदय ने अश्योरेन्स दी थी कि जहा पर बिल्डिग भी है और विंग के तौर पर कालेज चल रहैं हैं, वहा पर कालेज खोल दिया जाएगा। क्या मन्त्री जी बताएंगे कि वहां पर पूरा कालेज खोलने पर विचार किया जाएगा?

श्री हुकम सिंहः स्पीकर सर, श्री महैंन्द्र प्रताप सिंह जी को तो आदत है कि वे हर क्वैश्चन पर खड़े हो जाते है। अगर कोई उचित सवाल पूछना चाहैं तो क्वैश्चन भेज दिया करें, हम जवाब देंगे लेकिन उनको तो दूसरे कामों से फुरसत ही नही है। उनको लोगों से तो कोई हमदर्दी है ही नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप कृपया बैठें। नैक्सट क्वैश्चन।

Appointment made in the Haryana Agricultural -Marketing Board

***1091. Capt. Ajay Singh Yadav :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state the districtwise number of appointments made in the Haryana Agricultural. Marketing Board during the period from 1st July 1987 to February 1990?

मुख्य मंत्री (चौधरी ओम प्रकाश चौटाला): हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड में प्रथम जुलाई, 1987 से फरवरी, 1990 की अवधि के दौरान की गई नियुक्तियों की जिलावार संख्या निम्न प्रकार है: –

क्र० सं०	जिले का नाम	नियुक्तियों की संख्या
1	अम्बाला	41
2.	यमुनानगर	
3.	कुरुक्षेत्र	22
4.	कैथल	16
5.	करनाल	12
6.	पानीपत	11
7.	सोनीपत	8
8.	रोहतक	24

9.	भिवानी	11
10.	जीन्द	26
11.	सिरसा	28
12.	हिसार	31
13.	महैंन्द्रगढ	10
14.	रिवाड़ी	7
15.	गुडगाबा	8
16.	फरीदाबाद	7
	कुल	260

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमन्त्री महोदयसे यह जानना चाहता हूं कि इस अवधि के दौरान हरियाणा एग्रीकल्चरल मार्किटिंग बोर्ड द्वारा की गई नियुक्तियों में कोई इररैगुलैरीटीज पायी गई हैं जिससे एस० सी० और बी० सी० की पोस्टों पर रिजर्वेशन के हिसाब से पूरी भर्ती न की गयी हों? क्या सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी?

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की कोई शिकायत सरकार के पास नहीं आई है। पूरी पोस्टों पर भर्ती की गयी है।

डा० बृज मोहनः अध्यक्ष महोदय, यमुनानगर जिले में 5 मंडियां पड़ती हैं। क्या कारण है कि यमुनानगर में इस तरह की एक भी नियुक्ति नहीं की गयी है?

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से डाक्टर साहब को यह जानकारी देना चाहता हूं कि यमुनानगर में किसी जगह की वकरत ही नहीं थी इसलिये पोस्ट भरने की आवश्यकता ही नहीं पडी।

श्री परमानन्दः अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मन्त्री महोदय ने, यह कहा कि एस० सी० और बी० सी० की सारी सीटें पूरी की गयी हैं। क्या वे बताने का कष्ट करेंगे कि क्य 260 में से किस किस कैटेगरी के कितने कितने आदमी हैं? क्या ऐक्ससर्विसमैन और हैंन्डीकैप्ड का जितना कोटा था, वह भी पूरा किया गया है? क्या ये इन सारी बातों को डिटेल में बताने का कष्ट करेंगे ?

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि मार्किट कमेटियों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कमेटी के ही मुलाजिम होते हैं और उनकी अप्वायटिंग अथौरिटी कमेटियां ही हैं। क्लास थ्री, टू और वन के सभी कर्मचारी व अधिकारी बोर्ड के होते हैं और इसके इलावा 'बोर्ड के क्लास फोर के अलग से भी कर्मचारी होते हैं। जैसे–जैसे इन की जरूरत समझी जाती है, वह पूरी कर ली जाती है। इन 260 की ब्रेक–अप मैं बतला देता हूं जो इस प्रकार

है जनरल 150, शड्यूल्ड कास्टस 36, बैकवर्ड क्लासिज 28, ऐक्स सर्विसमैन के 41 तथा फिजिकली हैंडीकैप्ड 5।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो अप्वायंटमैंट्स की गयी, है, वे डिस्ट्रिक्ट लैवल पर मार्किट कमेटी द्वारा की गयी है या कि मार्किटिंग बोर्ड द्वारा की गयी हैं? इसका क्या तरीका है? अम्बाला में, 41, कहीं पर 26 और कही पर 5–5 व 7–7 की गई हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण कहीं जरूरत का न होना है या कोई और दूसरा कारण भी था?

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, यह सारी नियुक्तियां बोर्ड. की मार्फत की गयी हैं। जहां–जहां, जितनी–जितनी जरूरत थी उसके मुताबिक ही की गयी थी।

श्रीमती कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, यमुनानगर में 5 मंडियां हैं। यह कैसे संभव है कि वहां एक भी नियुक्ति की जरूरत नहीं है। क्या मुख्य मन्त्री जी यह आश्वासन देगे कि आयंदा यमुनानगर में नियुक्तियां अवश्य की जाएंगी?

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी बताया था कि जहां जरूरत समझी जाएगी वहां पर ये नियुक्तियां की जाएंगी?

श्री रघुवीर सिंहः क्या मुख्य मन्त्री जी बताएंगे कि अलग–अलग जिलो में कितनी कितनी नियुक्तियां की गई है?

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः यह तो मैंने पहले ही पढ़ कर सुना दिया था।

श्री कैलाश चन्द शर्माः अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मन्त्री जी ने बताया कि ये नियुक्तियां बोर्ड के द्वारा हुई है। क्या बोर्ड ने इनके लिये कोई ऐप्लीकेशंज मांगी थीं या ऐम्पलायमेंट? ऐक्सचेंज के जरिये ये भरी गई हैं? हमारे यहां नारनौल और अटेली में कोई भी नियुक्ति क्यों नहीं हुई?

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः स्पीकर साहब, मैंने पहले भी बताया है कि जहां–जहां जिस पोस्ट के लिये कोई जरूरत होती है वह मार्किटिंग बोर्ड के द्वारा भरी जाती हैं। मार्किट कमेटियों में कमेटियों द्वारा भरती की जाती है। जहां भी नियुक्तियों की जरूरत पड़ेगी उसके मुताबिक भर दी जाएंगीं। इनका प्रश्न था कि आया मार्किटिंग बोर्ड ने कोई ऐप्लीकेशंज मांगी थी। बाकायदा अखबारों में इश्तिहार देकर ऐप्लीकेशंज मांगी गई थी और उसके बाद चयन हुआ।

श्री किरपा राम पुनियाः स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री जी ने बताया कि 260 में से 36 शिड्यूल्ड कास्टस लिये गए जबकि लेने चाहिए थे 52। तो ये कम क्यों लिये गये? चाहिये तो यह था कि सरकार बैक लौग भी पूरा करती?

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः हो सकता है कि ऐप्लीकेशंज ही इस हिसाब से आई हो।

Institution for Imparting Training in Cookery, Catering Hotel Management, etc.

***1096: Shri Parma Nand :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any school/institution in the State to impart training in Cookery, Catering and Hotel Management; if so, the dale of setting up of the institute togetherwith the name and location thereof;

(b) whether the school/institution, as referred to part (a) above, has been. recognised by any Board or affiliated with any University or any Central Institute so far; and

(c) if not. whether there is any proposal under. consideration of the Government to get it recognised ?

मुख्य मंत्री (चौधरी ओम प्रकाश चौटाला):

(क) हां। हरियाणा पर्यटन द्वारा दो कैटरिंग संस्थान चलाये जा रहैं है

हरियाणा इन्स्टीच्यूट औफ कैटरिंग एवं होटल मैनेजमैंट, पानीपत, जुलाई, 1973 में पानीपत में स्थापित किया गया तथा फूड क्राफ्ट संस्थान, बड़खल झील, फरीदाबाद में सितम्बर, 1989 को स्थापित किया गया।

(ख) नहीं। अभी तक दोनों में से किसी को भी मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। (ग) हां। हरियाणा पर्यटन निगम ने तिथि 29–

12– 87 को निदेशक तकनीकी शिक्षा संघ, हरियाणा को पत लिख कर मान्यता प्राप्त करने का अनुरोध किया था। इसके उत्तर में निदेशक तकनीकी शिक्षा ने कैटरिंग संस्थान पानीपत के निरीक्षण के लिए एक तकनीकी समिति भेजी। निरीक्षण के बाद तकनीकी समिति ने मान्यता प्रदान करने से पहले कुछ व्यवस्थायें स्थापित करने जैसे खाद्य प्रयोगशाला, कम्पयूटर प्रयोगशाला, बेक्री प्रयोगशाला, जनरेटिंग सैट, फर्नीचर इत्यादि की सिफारिश की। इनमें से अधिकतर सुविधायें कैटरिंग संस्थान पानीपत में उपलब्ध कर दी गई हैं और बाकी सुविधायें उपलब्ध करा देने के बाद निदेशक तकनीकी शिक्षा संघ से मान्यता प्रदान करने के लिये पुनरू अनुरोध किया जायेगा। निदेशक तकनीकी शिक्षा सध से मान्यता प्राप्त हो जाने के उपरान्त केन्द्रीय सरकार शिक्षा मत्रालय से भी मान्यता प्रदान करने का अनुरोध किया जायेगा।

श्री परमानन्दः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने जवाब में बताया है कि इंस्टीच्यूट औफ कैटरिंग एवं होटल मैनेजमैंट, पानीपत जुलाई 1973 में स्थापित की गई थी। वर्ष 1973 से लेकर जून, 1387 तक कांग्रेस पार्टी का राज रहा। बीच में थोड़े से अर्से के लिये आदरणीय चौधरी देवी लाल जी का राज आया था लेकिन ज्यादा समय तक कांग्रेस पार्टी का ही राज रहा। वे सोते रहैं, उन्होंने इस बारे मे कोई कार्यवाही नही की। इस बारे में 29– 12– 1987 को पहली बार कार्य. वाही, की गई। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने जो हिन्दी अनुवाद पढ़ा है वह अंग्रेजी से भिन्न

है। अंग्रेजी में तो यह लिखा है कि हरियाणा टूरिज्म कारपोरेशन ने टूरिज्म डिपार्टमैंट के डायरैक्टर के पास चिट्ठी लिखी है, लेकिन यहां उल्टा दिया है कि 29– 12– 1987 को मान्यता प्राप्त कर्ने के लिये ऐप्लाई किया गया जिसकी ऐवज में एक टैक्नीकल टीम उस इंस्टीच्यूट की इंस्पैक्शन के लिये भेजी थी क्या मन्त्री जी बताएंगे कि उसने अपनी रिपोर्ट कब दी और उस रिपोर्ट में जो कमियां बताई गई थीं क्या उनको दूर कर लिया गया है?

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य रिप्लाई को गौर से पढ़ें तो इसके अंग्रेजी और हिन्दी वर्शन में कोई विसंगति नही है। जहां तक इन्होंने कमियों को दूर करने के बारे में पूछा है वह पूरी कर ली गई हैं।

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य म।ती जी को यह बेतोंने। चाहता हूं कि जिन लोगो ने उस इस्टीच्यूट से कैंटरिंग का डिप्लोमा किया है, उनको उसकी मान्यता नहीं मिली है। इसलिये क्या मुख्य मन्त्री जी बताएंगे कि अब उस डिप्लोमा की वैधता का सवाल नही उठेगा '

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इनमें से अधिकतर डिप्लोमा होल्डर्ज टूरिज्म कारपोरेशन में ही लिए जा रहैं हैं और होटलों में भी लिए जा रहैं है।

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्की जी से जानना चाहती हूं कि उस

इंस्टीच्यूट में कितने विद्यार्थियों को ऐडमिशन दी जाती है और उनके लिये क्राइटेरिया और योग्यता कितनी अपेक्षित है?

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं डाक्टर साहिबा को बताना चाहूंगा कि उस इंस्टीच्यूट में ऐडमिशन के लिये जो योग्यता निर्धारित की हुई है उसके मुताबिक योग्यता रखने वाले कैडीडेट्स को ही ऐडमिशन दिया जाता है और जितनी जहां पर जरुरत होती है उसके मुताबिक ही लगाए जाते हैं।

श्री परमानन्दः स्पीकर साहब, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दियो था। मैंने अपने सवाल में माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह पूछा था कि उस तकनीकी समिति ने जो रिपोर्ट दी थी वह कब दी थी और जो औवजैक्शंज रेज कि थे क्या वे दूर कर दिए गए? इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहता हू कि उस संस्थान में कितने व्यक्ति दाखिल हुए थे जिनको डिप्लोमा मिला है और जिनको डिप्लोमा मिला है उसकी चूकि कोई मान्यता नहीं है क्या उनकी वैधता का सवाल नही उठेगा ?

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः इसे बारे में पहले ही बताया जा चुका है। यदि माननीय सदस्य इसके अलावा कोई बात पूछना चाहते हैं तो उसके लिये सैपरेट नोटिस देना चाहिए।

Mr. Speaker : Hon. Members, Questions Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

House Rent Allowance to Government Employees

***1103 Dr. Brij Mohan :** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to enhance the limit of House 'Rent Allowance admissible to various categories of the Haryana Government employees; and

(b) if so, the time by which the decision is likely to be taken ?

उप–मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्ता):

(क) नहीं, श्री मान जी।

(ख) लागू नहीं होता।

Civil Hospital, District Yamuna Nagar

***1106. Smt. Kamla Verma :** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to convert the Mukand Lal Civil Hospital in district Yamuna Nagar into 100 beds hospital; and

(b) if so, the time by which the said proposal is likely to be materialized ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी ओम प्रकाश चौटाला):

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

I.T.I. At Hodel

***1072. Shri Udai Bhan :** Will the Minister for Industrial Training be pleased to state whether, there is any proposal under consideration of the Govt. to open an Industrial Training Institute at Hodel; if so, the time by which it is likely to be opened ?

औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री (राव लक्ष्मी नारायण): जी नहीं।

Adult Education Centres

***1061. Comrade Harpal Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state the total number of Adult Education Centres functioning Tohana Block ?

शिक्षा तथा विकास मन्त्री (श्री हुकम सिंह): हिसार जिले के टोहाना ब्लॉक मे कोई प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र नही चल रहा है।

I.T.I. Building at Rewari

***1092. Captain** Ajay Singh Yadav : Will the Minister for Industrial Training be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a building of

Industrial Training Institute in Rewari; and

(b) if so, the time by which the aforesaid building is likely to be constructed ?

औद्योगिक प्रशिक्षण मन्त्री (राव लक्ष्मी नारायण):

(क) जी हां।

(ख) यदि समुचित फण्डज उपलब्ध हो जाते हैं तो उस स्थिति में आई० टी० आई० के भवन का निर्माण आठवी पंच वर्षीय योजनाकाल में कराया जायेगा।

Selling of Government/Nazool Land

***1097. Shri Parma Nand :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether any Government/Nazool land in the State has been sold by the Government during the years 1985-86 to 1989-90 separately; if so, the districtwise details thereof; and

(b) the yearwise amount released on the sale proceed of the land, as referred to in part (a) above ?

Interim Reply

D.O. No. 1683-R-I-90/5728

"Rao Ram Narain

मन्त्री,

राजस्व विभाग, हरियाणा,

चण्डीगढ।

दिनांक 19—3—90

Dear Shri Chatha,

Kindly refer to the Starred Assembly Question No. 1097 asked by Shri Parma Nand, M.L.A. regarding sale of Government/Nazul land in the State during the years 1985-86 to 1989-90 which is due for answer in the Haryana Vidhan Sabha on 20-3-1990.

2. In this connection, I am to inform you that the desired information is being collected from the Deputy Commissioners in the State and there is a possibility for it to take some more time. May I. therefore, request that an extension of 3 weeks may please be accord .7d.

With kind regards,

Yours sincerely.

Sd/-

(Rao Ram Narain)

Shri H.S. Chatha, Hon'ble Speaker,

Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh."

Slum areas in 'A' Class Municipal Committees

***1107. Shrimati Kamla Verma :** Will the Minister for Local Government be pleased to state—

(a) the number of slum areas declared in 'A' class Municipal Committees in the State; and

(b) whether any amount has been earmarked for development of areas referred to in part (a) above during the financial year 1989-90; if so, the total amourmt Spent in Yamunanagar for the said purpose ?

स्थानीय शासन मन्त्री (श्री सुभाष चन्द कटियाल):

(क) ''ए'' श्रेणी नगरपालिकाओं में घोषित स्लम क्षेत्र 351 हैं।

(ख) चालू वित्त वर्ष 1989– 90 में 48 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई थी और उसे राज्य की 16 ''ए'' श्रेणी नगरपालिकाओं में वितरित कर दिया गया। इस उद्देश्य हैंतु नगरपालिका यमुनानगर के लिये कुल 3 लाख रुपये की राशि वितरित की गई जिनमें से अब तक 1,35,670 रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

विभिन्न विषयों का उठाया जाना

श्री हरनाम सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने एक शौर्ट नोटिस क्वैश्चन दिया था। उस के बारे में मुझे 19 तारीख को इतलाह मिली है कि वह ऐडमिट कर लिया गया है। रुल्ज औफ प्रोसीजर एण्ड कन्डक्ट औफ बिजनैस के रूल 54 (2) के तहत यह क्वैश्चन

उसी दिन लग जाना चाहिए था या उससे अगले दिन लग जाना चाहिए था। मेरा सवाल न तो कल लगा और न आज ही लगा है। मैंने इसके बारे में कारण भी लिखा है कि गेहूं की फसल पक रही है और दूसरी तरफ बिजली के कनैक्शन्ज भी काटे जा रहैं हैं। इससे किसानों का ही नुकसान नहीं होगा बल्कि फसल का भी बहुत नुकसान होगा। इसलिये मैंने इस को अहम सवाल समझते हुए ही आपको दिया था।

श्री अध्यक्षः कामरेड साहब, मैंने आपका यह सवाल और्डिनैरी सवाल के रूप में ऐडमिट कर लिया है।

श्री हरनाम सिंहः मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि शौर्ट नोटिस क्वैश्चन के रूप में यदि यह क्वैश्चन ऐडमिट कर लिया जाता तो यह आज लग जाता और अच्छी बात हो जाती। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कामरेड साहब अब आप बैठिये।

डा० मगल सैनः अध्यक्ष महोदय, मैंने एक काल अटैन्शन नोटिस आपकी सेवा में दिया है कि रोहतक शहर में पानी भर गया है और वहां पर नाजायज कब्जे भी हो रहैं हैं।

श्री अध्यक्षः वह मुझे आजं सुबह मिल गया है।

डा० मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, अखबार पढ्ने के बाद उसे मैं आज सुबह ही दे सकता था।

Mr. Speaker : That is under consideration.

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, यहां पर कई गिरोह आ गये हैं।

Mr. Speaker : Doctor Sahib, I have already said that it has been received and is under consideration.

मुख्य मंत्री (चौधरी ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, मैं डाक्टर साहब की बात वैसे भी मान लेता हूं। मैं आपके द्वारा इनको बताना चाहता हूं कि यदि सरकार के नोटिस में कोई शिकायत आएगी तो उन लोगों के खिलाफ सख्त ऐक्शन लिया जायेगा।

बिजनैस ऐडवाईजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष: अब मैं वैरियस बिजनैस के बारे में बिजनैस ऐडवौइजरी कमेटी द्वारा फिक्स किया गया टाईम टेबल रिपोर्ट करता हूं –

"The Committee met at 9.00 A.M. on Tuesday, the 20th March, 199C, in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

The Committee, after some discussion. recommends that the House, after transacting the business set down on the List of Business for Tuesday, the 20th March, 1990, it shall remain adjourned till 28th March, 1990. It shall again meet on Thursday, the 29th March, 1990. at 9.30 A.M. and adjourn after the conclusion of the Business entered on the List of Business for the day.

The Committee, after some discussion, further recommends that the business on 20th & 29th March, 1990, be transacted by the Sabha as follows

Tuesday, the 20th March. 1990 (9.30 A.M.)	I.	Questions Hour.
	1.A	Presentation and adoption of the Second Report of the Business Advisory Committee.
	2.	Paper to be laid on the .Table of the House.
	3.	Presentation of Assembly Com- mittee Reports.
	4.	Legislative Business.
	5.	Discussion on Motion under Rule 84.
Thursday, the 29th March, 1990 (9.30 A.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Motion under Rule 21.
	3.	Motion under Rule 30.
	4.	Motion under Rule 15 regar-

		ding Non-Stop sitting.
	5.	Motion under Rule 16 regar- ding adjournment of the Sabha Sine-Die.
	6.	Presentation of Assembly Committees Reports.
	7.	Legislative Business.
	8.	Any other Business."

अब पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर यह प्रस्ताव करेंगे कि यह हाउस बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की सैकिण्ड रिपोर्ट में दी गई रिकमैंडेशन्ज से सहमति प्रकट करना

Home Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That this House agrees with the recommendations contained in the Second Report of the Business Advisory Ccmmittee.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव पेश हुआ—

कि यह हाउस बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की सैकिण्ड रिपोर्ट में दी गई रिकमैंडेंशन्ज से सहमति प्रकट करता है।

डा० मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर सर, इस हाउस को डैमोक्रेसी की परिभाषा मुझे बताने की जरुरत नहीं है और आपको

बताने की तो मेरी मजाल ही नहीं है। स्पीकर सर, बाई डैलिब्रेशन ही तो डैमोक्रेसी है। अगर डैलिब्रेशन्ज नहीं होगी तो डैमोक्रेसी क्या होगी? स्पीकर साहब, 29 तारीख को नौन स्टौप बैठक रखी गई है। अगर उस को नौन स्टौप रखने की बजाये 30 तारीख तक सैशन बढ़ा लिया जाये तो इससे किसी को कोइ खतरा नही होगा क्योंकि अब जो जहां पर बैठा है वह वहीं बैठा रहैंगा। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि 29 तारीख को नौन स्टौप वैठक रखने की बजाय यदि 30 तारीख को भी बैठक कर ली जाये तो कोई हर्ज नही होगा।

Mr. Speaker : Thank you Dr. Sahib. Please take your seat.

मुख्य मन्त्री (चौधरी ओम प्रकाश चौटाला): डा० साहब, जो जहां बैठा है वह यदि वहीं बैठा रहैंगा तो मेरा काम कैसे चलेगा? (हंसी)

डा० मंगल सैनः अब तो ऐण्टी डिफैक्शन ऐक्ट बन गया है। अब इधर उधर आप कर भी नहीं सकते (विघ्न)

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः डा० साहब, मैं उस तरह की बात नही कर रहा हूं। कई ऐसे भी हैं जिन को आप भी जानते हैं। उनको न तो आप रोक सकते हैं और न मैं रोक सकता हूं।

डा० मंगल सैन: चलो जो है, वह तो ठीक है। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का भाव यही है कि 29 तारीख को नौन स्टौप बैठक रखने की बजाये अगर अगले दिन भी बैठक कर ली जाए तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नही होगी (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, जो बात मैंने कही है ''कि कोई इधर उधर नही जायेगा '' उसे आप भी समझने हैं और सी० एम० साहब भी समझते हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि यह हाउस बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की सैकिण्ड रिपोर्ट में दी गई रिकमैंडेशन्ज से सहमति प्रकट करता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हआ।

सदन की मेज पर रखे गये कागज–पत्र

श्री अध्यक्ष: अब मिनिस्टर साहब टेबल औफ दि हाउस पर पेपर्ज ले करेंगे।

Home Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to lay on the Table—

(1) The statement showing the loans raised by the Haryana State Electricity Board upto 15th January, 1990, as required under section 66 of the Electricity (Supply) Act, 1948.

(2) The Administration Report of the Haryana State Electricity Board, for the year 1987-88 as required under section 75(1) f the Electricity (Supply) Act, 1948.

(3) The 22nd Report of the Haryana State Industrial Development Corporation Limited for the year 1988-89 as required under Section 619(A) (3) of the Companies Act, 1956.

समितियों की रिपोर्टस पेश करना–

(1) कमेटी यौन पब्लिक अकाउंट्स की 29चीं तथा 30वी रिर्पोट्स

श्री अध्यक्षः अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन श्री हीरानन्द आर्य कमेटी की वर्ष 1989– 90 के लिये 29 वीं तथा 30वीं रिर्पोट्स पेश करेंगे।

श्री हीरा नन्द आर्य (चेयरमैन कमेटी औन पब्लिक अकाउंट्स): अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1984– 85 के लिये भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (सिविल तथा राजस्व प्राप्तियां) पर वर्ष 1989– 90 के लिये लोक लेखा समिति की 29वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं। मै वर्ष 1984– 85 के लिये हरियाणा सरकार के विनियोग लेखों/ वित्त लेखो की रिपोर्ट पर वर्ष 1989– 90 के लिये लोक लेखा समिति की 30वी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता हू।

(2) कमेटी औन पब्लिक अण्डरटेकिंगज की 30वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्षः अब कमेटी औन पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज के चेयरमैन चौधरी शिव लाल वर्ष 1989– 90 के लिये कमेटी की 30 वीं रिपोर्ट पेश करेंगे।

Shri Shiv Lal (Chairman, Committee on Public Undertakings) : Sir, I beg to present the Thirtieth Report of the Committee on Public Undertakings for the year 199-90 on the General Working of the Haryana Tourism Corporation Limited.

(3) कमेटी औन ऐस्टिमेट्स की 22वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्षः अब कमेटी औन ऐस्टिमेट्स के चेयरमैन श्री मनी राम कमेटी की वर्ष 1989– 90 के लिये 22वीं रिपोर्ट पेश करेंगे।

Shri Mani Ram (Chairman, Committee on Estimates) : Sir, beg to present the Twenty Second Report of the Committee on Estimates for the year 1989-90.

(4) कमेटी औन गवर्नमैंट अश्योरैसिंज की 21वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्षः अब कमेटी आन गवर्नमैंट अश्योरैसिज के चेयरमैन श्री मोहम्मद असलम खान, कमेटी की वर्ष 1989–90 के लिये 21वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

Shri Mohammad Aslam khan (Chairman, Committee on Government Assurances) : Sir, I beg to present the Twenty First Report of the Committee on Government Assurances for the year 1989-90

बिल्ज–

(1) दि हरियाणा ऐओप्रिएशन (नं० 1) बिल, 1990

श्री अध्यक्ष: अब डिप्टी–चीफ मिनिस्टर साहब, हरीयाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं० 1) बिल, 1990 को इंट्रोड्यूस करेंगे तथा उसे कसिइडर करने के लिये मोशन मूव करेंगे।

उप–मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): श्रीमान, मैं हरियाणा विनियोग (सं० 1) विधेयक, 1990 को प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमन मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा विनियोग (सं० 1) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Haryana Appropriation (No.1) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Appropriation (No.1) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause **2**

Mr. Speaker : Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is`-- That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is—

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Deputy Chief Minister will move that the Bill be passed.

उप–मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता है –

कि बिल पास किया जाये।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(2) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं० 2) बिल, 1990

श्री अध्यक्ष: अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (न० 2) बिल, 1990 को इन्ट्रोड्यूस करेंगे और उसे कंसिडर करने के लिये मोशन मूव करेंगे।

उप–मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं० 2) बिल 1990 को प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमान, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं–

कि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (न० 2) बिल पर तुरंत विचार किया जाये।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

डा० बृज मोहन (जगाधरी): स्पीकर साहब, इस बजट सैशन में पहले तो बजट ऐस्टिमेट्स पेश हुए और अब यह ऐप्रोप्रियेशन बिल पेश हुआ है। सौभाग्य से कल ही रात को हमारा सैटर का बजट आया है। मैं समझता हूं उस बजट के आने से हमारे स्टेट के बजट पर इनडायरैक्ट तौर पर असर पड़ेगा। मैं यह मानने के लिए भी तैयार नही और सारी जनता भी मानने के लिए तैयार नहीं कि जो बजट शाम को पेश हुआ है उसका असर हिन्दुस्तान की महंगाई को रोकने मैं कारगर होगा। इस बजट से महंगाई रुकने वाली नहीं है। हर चीज की महंगाई बढ़ेगी। जब सैंटर के बजट से महंगाई बढ़ेगी तो उसका असर स्टेट के बजट पर भी पड़ेगा। केन्द्र सरकार ने डीजल और पैट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं। उसके परिणामस्वरूप बसों और ट्रकों का किराया–भाड़ा बढ़ेगा और उसका असर हर चीज पर पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि इनडायरैक्टली हर गरीब आदमी पर असर पडेगा। यह कहना कि महंगाई रोकने की कोशिश की जा रही है यह गलत बात है। अचार और तेल की कीमतें कम करने से कोई

कीमतें कम नहीं हो जाएंगी। क्या लोग अचार और तेल ही खायेंगे और पीयेंगे? इसलिए सैट्रंल बजट के साथ सारी स्टेटों के बजट पर असर पड़ेगा, उसका बोझा आज नही तो कल और कल नही तो परसो पड़ेगा। बाद में सप्लीमैंटरी डिमांडज के जरिये यह खर्चा आएगा। सप्लीमैंटरी डिमांडज की पहली किस्त में या दूसरी किस्त में सारी स्टेटों में असर पड़ेगा। महंगाई और गरीबी दोनों चीजें एक साथ जूडी हुई हैं। कहने को तो कह देते है कि गरीबी क्या है, जो लोग गरीबी में रह रहैं है उन्हैं ही गरीबी का पता शै। मैं रोजाना देखता हू कि लोग दवाई के लिए किस प्रकार मे परेशान होते हैं। मैं मैडिकल प्रैक्टीशनर हूं इसलिए मुझे ज्ञान है किं गरीब आदमी कितना परेशान होता है। कई बार जब मरीज मेरे पास आता है तो वह बहुत ज्यादा बीमारी की हालत में आता है। 6–6 और 7– 7 दिन के बाद आता है। जब मैं उनसे पूछता हं कि आपने पहले दवाई क्यो नही ली तो उसका जवाब यही होता है कि मेरे पास पैसे नही थे। 4– 5 दिन तकलीफ में इसलिए रहता है कि शायद ठीक ही हो जाऊं लेकिन जब तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब दवाई लेने की कोशिश करता है। मैंने कई बार इस बात को महसूस किया कि अगर यह दवाई पहले ले लेता तो ठीक हो सकता था लेकिन पैसे न होने के कारण वह दवाई नही ले पाता। जब तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है तो वह जमींदार वगैरा से पैसे मांग कर लाता है, वह हमेशा यही कहता है कि मेरी जेब में किराये के लिए भी पैसे नही थे इसलिए दवाई के लिए पैसे कहां से आते। आज देश के अन्दर 42 साल के बाद भी एक गरीब

आदमी दवाई लेने में मजबूर है। एक दिन की दवाई पर 30–40 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। दवाई सस्ती नही है। जो लाईफ सेविंग्ज ड्रग्ज हैं, वे भी इतनी महंगी कर दी गयीं हैं कि एक आम आदमी उनको खरोदने में असमर्थ है। क्योंकि उनकी जेब मे पैसे नही हैं। कम्पनियों से जबरदस्ती इलैक्शन के अन्दर चन्दा लिया गया जिस वजह से महंगाई और बढ़ गयी। चन्दा देने के लिये कम्पनियो को मजबूर किया गया। जिसके कारण उन्होंने दवाइयों की कीमतें बढा दी। (विघ्न) आज महंगाई बढ़ने का यह भी एक वड़ा जबरदस्त कारण है। इंडस्ट्रियलिस्ट्स और कम्पनी वालों से चन्दा लिया गया। (विघ्न)

(इस समय मुख्य मंत्री जी कुछ बोलने के लिए खड़े हुए।)

Mr. Speaker : Doctor Sahib, please take your seat. The Hon. Chief Minister wants to say some thing.

शोक प्रस्ताव

मुख्य मन्त्री (चौधरी ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, अभी–अभी एक बड़ा दुःखद समाचार मिला है कि चंडीगढ़ के सैक्टर–22 में एक बड़ा पावरफुल बम विस्फोट हुआ जिसकी वजह से शायद 6 जाने चली रायी हैं और 30–32 की संख्या में लोग घायल हुए हैं। मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि हाउस उनके प्रति संवेदना इसी वक्त प्रकट करे।

डा० मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, अभी–अभी अकस्मात सदन के नेता श्री ओम प्रकाश जी ने बताया है कि 22 सैक्टर मे बम ब्लास्ट हुआ है जिसके कारण 6 निर्दोष व्यक्ति मारे गये और दर्जनों घायल हो गये। स्पीकर साहब, बड़ी ही दु:खदायी बात है कि ऐसे निर्दोष लोग मारे गये हैं जिनके घरों में पता तक नहीं होगा। वे किसी काम से बाहर निकले होंगे और इस बात का पता लगने पर उनके घरों में बड़ा ही दर्दनाक नजारा हुआ होगा। ठीक होते तो वे स्वयं पैदल चलकर जाते लेकिन जब उनकी लाशें घरों में जायेंगी तो घर में क्या दृश्य बनेगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। जो रूदन और विलाप पंजाब के बहुत सारे क्षेत्रों में चल रहा है वह यहां पर भी शुरु हो गया। इन उग्रवादियों ने यहां पर भी नहीं बक्शा और दिल्ली भी नहीं बक्शा। हरियाणा में तो वे ऐसी बात करने की जुर्रत नहीं करते, अगर ऐसी हिमाकत कर भी जाते हैं तो हमारी बहादुर पुलिस उनको जिन्दा या मरें हुओं को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। स्पीकर साहब, यह बड़ा ही चिन्ता का विषय है। चंडीगढ़ केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र है। यह हमसे भी सम्बन्धित है और इस रीजन में भी आता है। हम इस सदन के माध्यम से और इस फोरम के माध्यम से उनको यह कहना चाहैंगे कि उनका यह दायित्व है कि ला एंड आर्डर के बारे में देखें और यह भी देखें कि पंजाब में उग्रवाद को किस तरह से समाप्त करें? जो देश के दुश्मन हैं, उनके साथ वैसा ही समुचित व्यवहार करके इस मामले को काबू में लाना चाहिये। देशद्रोही से क्या वार्ता करनी है? मैं दिवंगत लोगों को, जो मारे

गये हैं, शहीद हुए हैं, उनके चरणों में अपनी तथा अपने दल की ओर से नम्न करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री हरनाम सिंह (शाहबाद): स्पीकर साहब, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। केन्द्र की सरकार के बदलने के बाद एक आशा पैदा हुई थी कि यह आंतकवाद का घिनौना चक्कर जो चल रहा है, यह समाप्त होगा। उधर पंजाब के आम लोगों में भी यह आशा पैदा हुई थी कि यह मसला हल हो जायेगा लेकिन समय ज्यों–ज्यों आगे बढ़ता जा रहा है, त्यौ–त्यों यह हत्याएं बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती जा रही हैं। कल पंजाव के अन्दर बहुत बड़ी गिनती के अन्दर हत्याएं हुई और अब यह चंडीगढ़ में बम–विस्फोट हुआ। ऐसे ही हथियार बन्द लोग यू० पी० में भी पकड़े गये हैं। यह जो शोक प्रस्ताव रखा गया है, इस पर अपना शत्के प्रकट करता हूं और मृतकों को श्रद्धांजलि देता हूं। मैं यह भी अर्ज करता हूं कि जो लोग चले गए हैं उनको –सारा देश अपनी गोद में ले, उनको सहानुभूति दे ताकि –हम उनके दु:ख में शामिल हो सकें। अध्यक्ष महोदय, साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समस्या के समाधान के लिए सरकार को दो तरफ और तेजी से काम करना चाहिए। 'एक तरफ तो आतंकवादियों के खिलाफ सख्ती से ऐक्शन लिया जाए और दूसरी तरफ इस समस्या का समाधान किया जाए।

यही रास्ता है जिससे हम अपने देश को इन हत्याओं से बचा सकते हैं।

श्री किरपा राम पुनिया (बड़ौदा, अनुसूचित जाति): अध्यक्ष महोदय, बहुत ही दुखदायी समाचार सदन के नेता ने सदन के सामने रखा है। उग्रवाद से इस तरह की हत्याएं पंजाब में अक्सर होती ही रहती हैं और पिछले दिनों मे तो ये वारदातें बढ़ी है मगर चण्डीगढ़ लगभग इस तरह की वारदातों से दूर रहा था। क्या हुआ कभी एक आध इंसीडैट हो गया मगर आज जो इंसीडैट हुआ क्रश उसमें चूंकि छः जाने चली गईं और तीस– बत्तीस लोग घायल हो गए इसलिए यह बहुत ही दुखदायी घटना है। अध्यक्ष महोदय, बहुत लम्बी चौड़ी बात करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो इतना ही कहना उचित समझता हू कि केन्द्र सरकार को चाहिए और हरियाणा सरकार को भी चाहिए कि इस मामले को केन्द्रीय सरकार के साथ टेक–अप करके पंजाब के मामले को निपटाने की कोशिश करे वरना जो हो रहा है वह देश के लिए बहुत ही दुखदायी है। अध्यक्ष महोदय, जो जानें चली गई हैं उनके प्रति मैं श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारों के साथ हर तरह की सहानुभूति प्रकट करता हूं तथा इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, अभी अभी जो सूचना लीडर औफ दि हाउस ने दी है वह बहुत ही दुखदायी है। कई सालों' से बेगुनाह लोग मारे जा रहैं है और जब भी इस मसले

को हल करने का प्रयत्न किया जाता है तो यह स्पीड बढ़ जाती है, कम नही होती। कई दिनों से सुन रहैं थे कि कोई समझौता होगा। चार महीनों से सुन रहैं थे कि वातावरण बदलेगा लेकिन जब भी सैन्टर की सरकार वातावरण बदलने का नाम लेती है तो –घटनाएं बढ़ जाती हैं, यह बहुत ही दु:ख की बात है। आनरेबल मैम्बर्ज, मैं भी इस दु:ख में शरीक होता हूं और हाउस की डीप सिम्पथीज को ब्रीव्ड फैमिलीज तक पहुंचा दूंगा। अब मैं हाउस से प्रार्थना करता हूं कि इन आत्माओं की शांति के लिए बड़े होकर दो मिनट मौन रखें और उनको याद करें।

(इस समय दिवंगत व्यक्तियों के सम्मान में सदन के सदस्यों ने खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

बिल्ज (पुनरारम्भ) –

(2) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं० 2) बिल, 1990

डा० बृज मोहन: अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष: डा० साहब, आप बैठिए।

डा० बृज मोहन: केवल दो मिनट के लिए मुझे बोलने दीजिए। (विघन एवं शोर)

Mr. Speaker : Doctor Sahib. no, no, please take your seat. You had your say.

डा० बृज मोहन: स्पीकर साहब, यदि औपकी यही इच्छा है तो मैं बैठ जाता हू

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is-

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is—

That Schedule he the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That clause I stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Deputy Chief Minister will move that the Bill be passed.

उप–मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि बिल पास किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(3) दि पंजाब ऐक्साईज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1990

श्री अध्यक्षः अब मन्त्री महोदय, दि पंजाब ऐक्साईज (हरियाणा अमैन्डमैट) बिल, 1990 को इंट्रोड्यूस करेंगे और उसे कंसिडर करने के लिये मौशन मूव करेंगे।

Minister of State for Irrigation & Power(Shri Sachdev Tyagi) :Sir, I beg to introduce the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill. 1990.

Sir, I also beg to move—

That the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill be taken in to consideration at once.

The motion was carried.

डा० मंगल सैनः स्पीकर सर, मैं इस पर बोलना चाहता था लेकिन आपने मेरी तरफ देखा ही नही।

श्री अध्यक्षः डाक्टर साहब, वह स्टेज अब निकल गई। I am very sorry कि मैने आपकी तरफ देखा नही। अब आप बैठिये। मैं बाद में इसी बिल पर आपको बोलने का अवसर दूंगा। I Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is_

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried,

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

Thu Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Minister will move that the Bill be passed.

Minister of State for Irrigation & Power(Shri Sachdev Tyagi) :Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

डा० मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर सर, मेरे आदरणीय मित्रवर इस बिल को पास करवाना चाहते हैं। इस बिल के उद्देश्यों और कारणों में आबकारी नीति का अनुमोदन करते हुये 55 डिग्री की रम व जिन देसी शराब के ठेकों पर बेचे जाने का निर्णय लिया गया है। इन मार्को को तो पीने वाले समझते होंगे लेकिन सरकार इसको देसी दुकानों पर बेचने का बन्दोबस्त करने जा रही है। स्पीकर सर, मैंने आपसे अनुरोध किया था कि मुझे पहले बोलने दिया जाये लेकिन आपने कहा कि मैंने आपकी तरफ नहीं देखा। मैं दुबला पतला आदमी हूं, आपके देखने में चूक गया हूंगा। (हंसी) स्पीकर सर, यह मसला इतना सिम्पल व इनोसैन्ट नहीं है जितना कि समझा जा रहा है। क्या कभी कोई समय ऐसा आयेगा कि इस देश को सरकार या इस प्रदेश की सरकार इस लानत से जनता को बचा पाएगी। हमारे पूज्यनीय महात्मा गांधी जी ने, जिन्हैं हम राष्ट्रपिता के नाम से सम्बोधित करते हैं, जीवन पर्यन्त,

जीवन मूल्यों के लिये इस शराबबन्दी के लिये संघर्ष किया ताकि जनता सुखी रह सके परन्तु यह सरकार उन्ही बातों को बढ़ावा दे रही है। स्पीकर सर, आप भलिभांति जानते हैं कि यह शराब घर उजाड़ देती है, तबीयत बिगाड़ देती है, आजादी को मिट्टी में मिलाती है। अगर यह शराबबन्दी वाला काम इस सोशल वेलफेयर स्टेट में नहीं होगा तो कब होगा? यह बात ठीक है कि 1977– 78 में हमारे पूर्व प्रधानमन्त्री इस नशाबन्दी से भी आगे चले गये कहने लगे कि यह मत पीओ वह पी लो। उससे भी माहौल खराब हुआ। मुझे मालूम है और मैं कहना भी चाहता है कि इस देश में लीकर पैदा करने वालों की लौबी बहुत मजबूत है। मेरा भी एक पोलिटीकल पार्टी से वास्ता है। उनके बड़े लम्बे हाथ है। वे लोग पार्टियों को ऐसे वक्त पर काबू कर लेते हैं और मौका आने पर फटकने भी नहीं देते। मैं चाहता हू कि हमारे मुख्य मन्त्री जी को हरियाणा में पूर्ण नशाबन्दी करवानी चाहिए। मैं रोहतक में मौडल टाउन की तरफ जा रहा था। वहां बाकायदा शामिआने लगे हुए थे और हजारों आदमी वहां खड़े थे। मैंने किसी से पूछा कि यह क्या बात हो गई है तो वह कहने लगा कि ठेके नीलाम हो रहैं हैं। उस वक्त आप दिल्ली से आगे कहीं चले जाओ इस ' तरह ही दिखाई देगा क्योंकि हरियाणा दिल्ली के तीन तरफ बसा हुआ है और राजनैतिक कार्यकर्ता होने के नाते हमें सब जगह जाना पड़ता है। जब हम जाते हैं तो कोई चमकती हुई दुकान दिखाई देगी, वहां लिखा होगा अरिस्टोक्रेट, डिप्लोमैट और ऐसे ही पता नहीं क्या क्या नाम वहां पर लिखे होते हैं। रोहतक जिले में आजादी के

बाद पूर्ण नशाबन्दी हो गई थी लेकिन अब वहां एक ही बाजार में शराब की दस दस दुकानें हैं। नौजवान लड़के कालेज जा रहैं हैं और वापिस आ रहैं हैं और जब वे चमकती हुई बोतल को देखते हैं, सजी हुई दुकान को देखते हैं तो उनका मन भी मचलता है कि हम भी इसका स्वाद देखें। इसी तरह से कौमें जनरेशन बिगड़ा करती हैं। श्री ओम प्रकाश जी से आशा करूंगा कि वे शराब बन्दे। का काम जरूर करेंगे। यह कुछ देर के लिए तो अन–पापुलर जरूर लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली यह देश के भले की बात होगी। इन शब्दो के साथ मैं चाहता हू कि शराब से संबंधित सारे कामों को बन्द किया जाए।

11.00 बजे।

श्री बलबीर सिंह चौधरी (फतेहाबाद): अध्यक्ष महोदय, इस अमैंडिंग बिल के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में बताया गया शै कि अब हरियाणा की जनता को रम और जिन देसी ठेकों से मिलेगी यानी सरकार द्वारा यह प्रावधान किया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं इतना जरूर कहूंगा कि 1977 मे आदरणीय चौधरी देवी लाल जी की अगवाई में जो सरकार बनी थी उसमें श्री मोरार जी देसाई के आदेश के अनुसार कुछ नीतिया तय हुई थी। उसमें से एक नीति यह थी कि घर के अलावा और किसी सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना मना था। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई और उसने उस नीति कौ बदल दिया और जगह जगह बार और अहाते खोल दिए। इम सरकार के समय भी बार

और अहाते खुले। मैं आपको आकडे बताता हूं कि दो साल पहले शराब के ठेको से हमारी आमदनी 102 करोड़ रुपए थी, पिछले साल यानी 1987– 88 में यह बढ़ कर 111 करोड़ रुपए हो गई। 1988–89 मे 127 करोड़ रुपए की आमदनी हुई और अब इस साल 176 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। एक तरफ तो 100 रुपए बुढ़ापा पैंशन के देते हैं, फैमिली प्लानिंग पर खर्चा किया जा रहा है और दूसरी तरफ शराव कौ इस तरह से बढ़ावा दे कर हरियाणा प्रदेश की भोली–भाली जनता को गुमराह किया जा रहा णै। जहां हम चाहते हैं कि बूढ़े व्यक्तियों को 100 रुपए पैंशन दें ताकि वह अपनी जिन्दगी इज्जत के साथ काटे वहां हम शराब को इस तरह से बढावा दे कर उनके नौजवान बेटों को गुमराह कर रहैं हैं। आज हरियाणा प्रदेश के हर गांव में 20– 20 दुकानों पर शराब बिकती है। मैंने इस बारे में माननीय मुख्य मन्त्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को लिख कर भी शिकायत की है कि हरियाणा प्रदेश के गांवों में गैर लाइसैसं–शुदा 20– 20 दुकानों पर शराब की बोतलें बिक रही हैं। उन दुकानों पर कैम्पा कोला की बोतलें नही मिलेगी, शराब की सैकड़ों बोतलें मिल जाएंगी। हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने यह आप्रवासन दिया था कि शराब गैर–कानूनी तौर पर गांवों में नहीं जाएगी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से विनती करता हू कि इस तरह से गैर कानूनी तौर पर गांवों में शराब जाने से रोकी बी।

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, इसमें तो केवल रम और जिन की बात है।

श्री बलबीर सिंह चौधरीः स्पीकर साहब, आपकी बात ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। इस बारे में कीमत तय करने की बात है, ठेकेदार ज्यादा कीमत नही ले सकेंगे। लेकिन यह मुद्दा जिस डिपार्टमैंट का है, उस डिपार्टमैंट से लगती हुई बात कहना चाहूंगा। हमारे आदरणीय चौधरी देवी लाल जी ने गांधीवादी और समाजवादी नीतियां अपनाने का आश्वासन दिया था, आज यह बात उसके विरुद्ध जा रही है। उनकी बात पर ध्यान दे करके इस बारे में दोबारा विचार क्रिया जाए। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

सिंचाई तथा बिजली राज्य मन्त्री (श्री सचदेव त्यागी): स्पीकर साहब, इस माल इससे 165 करोड़ रुपए का ऐक्साईज रेवेन्यू फिक्स किया गया है। यह रेवैन्यू का बड़ा भारी सोर्स है। इससे सरकार को बड़ा भारी रेवैन्यू आता है। जो रेवैन्थू सरकार के पास आएगा वह लोगों की भलाई पर खर्च होगा। इसलिए प्रोहिबिशन सम्भव नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि विल पास किया जाए।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(4) दि फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुलेशन एंड डिवैल्पमैंट) बिल 1990

श्री अध्यक्षः अब लोकल गवर्नमैंट मिनिस्टर साहब, दि फ्हरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुलेशन एंड डिवैल्पमैंट) बिल, 1990 इन्ट्रोडयूस करेंगे और उसे कंसिडर करने के लिए मोशन मूव करेंगे।

स्थानीय शासन मन्त्री (श्री सुभाष चन्द कटियाल): अध्यक्ष महोदय, मैं फरीदाबाद संव्यूह (विनियमन तथा विकास) विधेयक, 1990 प्रस्तुत करता ई।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं–

कि फरीदाबाद संव्यूह (विनियमन तथा विकास) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker : Question is-

That the Faridabad Complex (Regulation and Development) Bill be taken into consideration at once.

डा० मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, इस विधेयक में इन्होंने यह कहा है कि पहले वहां का चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर एक लाख रुपए तक के ठेकों पर अपने दस्तखत कर सकता था लेकिन अब चूंकि चीजें मंहगी हो गई हैं इसलिए अब वह पांच लाख रुपए तक के ठेको पर अपने दस्तखत कर सकेगा। स्पीकर साहब, यह बात ठीक हैं कि मंहगाई बढ़ गई है और रही सही कसर हमारी मरकज को सरकार ने पूरी कर दी और उसका कहाँ कहों पर

असर होगा यह देखने वाली बात है। यह जो पैट्रोल और डीजल मंहगा कर दिया गया है, इसका अमर तो हर आदमी पर पड़ेगा। मैं और गुप्ता जी यह सोच रहैं थे कि मैम्बर्ज को दी जाने वाली सुविधाओं में भी कुछ बढ़ौतरी कर दें लेकिन यह ऐसा लाजमी काम आ पड़ा जिसके कारण हमारे लिए और भी मुश्किल हो जाएगी। यह ठीक बात है कि फरीदाबाद इट सैल्फ एक् प्रौब्लम सिटी है और वहां के स्लम क्लीयरैंस के लिए एक कानून भी आ रहा है। कुछ समय पहले वहां पर चौधरी देवी लाल जी ने एक बात कही थी कि उन झुग्गी झोपड़ी वालों को हटा कर उनको छोटे प्लौट्स दे दिए जाए और उनको वहां पर आबाद किया जाए। इस प्रकार से जमीनों के कई मामले हैं। स्पीकर साहब, मैं अपने मंत्रित्व काल में एक काम नहीं कर सका। क्योंकि लोक सभा के चुनाव बीच में आ गए इसलिए वहां पर कम्पलैक्स के चुनाव नहीं हो सके। हमने सदन में यह वायदा किया था कि वहां पर बहुत जल्दी चुनाव करवाएंगे। स्पीकर साहब, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि एक ऐडवाइजरी कमेटी बना दी जाए। मैं आपके द्वारा सुभाष कटियाल जी से कहना चाहूंगा कि चुनाव के मामले में वे अभी से प्रक्रिया शुरु कर दें ताकि वहां पर नौमिनेशन की बीमारी सामने न आए क्योंकि उसमें लोग काउंटर प्रैशर डालते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

उप–मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, अभी डाक्टर साहब ने फरमाया कि झुग्गी–झौंपड़ी वालों को आलटरनेटिव जगह देने के लिए चौधरी देवी लाल जी ने घोषणा की थी। हम चौधरी देवी लाल जी की प्रत्येक घोषणा का आदर करते हैं और उस पर अमल करने या उसे पूरा करने का प्रयास ही 'नहीं करते बल्कि उसके लिए ठोस योजना भी तैयार करते हैं। हमने हुड्डा की तरफ से कोई 11 हजार झुग्गी–झौंपड़ी वालों का पता करवाया है। इन लोगों के लिए 40–40 मीटर के प्लौट्स काटे गए हैं और वहां पर दूसरे विकास कार्य भी कर रहैं हैं। हमने झुग्गी झौपड़ी वालों को बार बार कहा है कि आप वहां पर चलो, हम आपको पोजैशन दिलवा देते हैं लेकिन वे जाने के लिए तैयार नहीं हैं। डाक्टर साहब से मेरी प्रार्थना है कि इन लोगों को वहां भिजवाने के लिए कोशिश करें।

डा० मंगल सैन: मैं कोशिश करूंगा।

श्री बनारसी दास गुप्ता: अच्छी बात है। हमने उनको कहा है कि आपको वहां पर जगह मिलेगी और 'उस जगह के आप लोग मालिक होंगे लेकिन फिर भी वे तैयार नहीं हैं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि फरीदाबाद में आज के दिन एक हजार, डेढ़ हजार और 2 हजार रुपये मीटर जमीन का भाव है जबकि हमने उनको सिर्फ 100 रुपये मीटर के हिसाब से जगह देने का वायदा किया है। तो अध्यक्ष महोदय मेरी हाउस से प्रार्थना है कि इस बिल को पास किया जाए।

Mr. Speaker : Question is—

That the Fardibad Complex (Regulation and Development) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is-

' That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Local Government Minister will move that the Bill be passed.

स्थानीय शासन मन्त्री (श्री सुभाष चन्द कटियाल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि बिल पास किया जाये।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

श्री कुन्दन लाल भाटिया (फरीदाबाद): अध्यक्ष महोदय, मै आपके, माध्यम से थोड़ी सी बात फरीदाबाद के बारे में कहना चाहता हूं। अभी उप–मुख्य मंत्री जी ने बताया है कि सरकार ने हुड्डा की तरफ से झुग्गी झौपडी वालों के लिए एलौट काटे हैं लेकिन वहां पर जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। वे लोग क्यों जाने के लिए तैयार नही हैं, वह बात भी मैं इनेको बताना चाहता हूं। वहां पर कोई राक दो जगहों पर तो झुग्गी–झौंपड़ी हैं नही। कई कालोनियो में ये झोपड़ियां बसी हुई हैं। सरकार 100 रुपये गज के भाव पर जो जमीन दे रही है वह दो–दो या चार– चार झुग्गी झौंपड़ी वालों को न देकर यदि एक जगह पर जितनी झुग्गी हैं उन सभी को एक साथ जगह दें तभी वे जाने के लिए तैयार होंगे। यदि वहां से दो–चार झुग्गी वालों को हटा दिया जाये तो

फिर उसी स्थान पर 10–12 और झोपड़ियां लग जाती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि कही पर 100 झुग्गी झौंपड़ी वाले इकट्ठे रहते है तो उनको इकट्ठी जगह दी जाये। इसके साथ–साथ मैं फरीदाबाद कम्पलैक्स के बारे में यह कहना चाहता हूं कि जो भी वहा पर सी० ए० जाता है वह दो चार दिन तो काम ठीक करता है लेकिन बाद मे फिर वह अपनी जेब भरने लग जाता है। वहां पर जनता का कोई काम नही करता और न जनता का कोई काम होता है। वहां पर अभी पीछे एक मैडम सी० ए० भेजी गई थी। वह ठीक काम कर रही थी लेकिन उसको जल्दी ही बदल दिया गया है। अब वहां पर गुप्ता जी गए हुए हैं। वे ठीक काम नहीं कर रहैं हैं। कम्पलैक्स के वर्कर्ज बाहर खड़े है। वे अन्दर जाने के लिए तैयार नहीं हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः भाटिया जी आप इस ब्लि के स्टेटमैंट औफ औब्जैक्टस एण्ड रीजन्ज को देखें कि इसमें क्या लिखा है? You should be relevant to the Bill.

श्री कुन्दन लाल भाटियाः अध्यक्ष महोदय, जब भी मेरे हल्के की बात आती है तो मुझे बोलने नही दिया जाता। अगर मेरे हल्के मे कोई गलत काम होता है तो उससे जनता दल और भाजपा दोनों की बदनामी होती है।

श्री अध्यक्षः भाटिया जी, आप यह देखें कि यह बिल किस बारे में हैं? (विघ्न) Please speak on the Bill and not on Faridabad.

श्री कुन्दन लाल भाटियाः आप मुझे बोलने ही नहीं देते ताकि फरीदाबाद हल्के की कोई बात न आए। चाहैं फरीदाबाद की जनता के साथ कुछ भी होता रहैं, चाहैं उनकी गर्दन पर छुरी चलती रहैं। (विघ्न) चाहैं कुछ भी होता रहैं लेकिन फरीदाबाद की जनता की कोई बात न सुनी जाए।

श्री अध्यक्षः ऐसी बात नही है। After all you have to be relevant to the Bill. How can I permit you to speak, if you are irrelevant.

श्री कुन्दन लाल भाटियाः अगर आप मुझे इस बारे बोलने की इजाजत नहीं देते तो फिर मैं नही बोलता। धन्यवाद।

उप–मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दाम गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद के प्रति– निधि, श्री कुन्दन लाल भाटिया, ने अभी कहा कि 1– 2 झुग्गी वालों को नई कालोनी में भेजा जाता है। मैं उनसे यह वायदा करता हूं कि हम कम–सें–कम 100 को एक साथ भिजवाएंगे लेकिन मेहरबानी करके ये उनको भिजवाने के लिए हमारा साथ दें। (विघ्न)

कामरेड हरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में माननीय उप –मुख्य मन्त्री थी से एक रिक्वैस्ट करना चाहता हू। उन्होंने बताया कि वहां पर मिनिमम दर पर प्लाटस दिये है। लेकिन ये यह भी सोचे कि एक मजदूर के लिए 4,000 रुपये की इकट्ठी राशि देना बहुत मुश्किल है। क्या सरकार इन रैजिडैंशियल प्लौटस को आमान किश्तो पर मजदूरों को देने की कृपा करेगी?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, इनके लिए पहले हीं बहुत आसान किस्तें रखी हुई हैं।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(5) दि पंजाब स्लम एरियाज (इम्प्रूवमैंट एंड कलीयरैंस) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1990

श्री अध्यक्षः अब लोकल गवर्नमैंट मिनिस्टर दि पंजाब स्लम एरियाज (इम्प्रूवमैंट एण्ड क्लीयरैस) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1990 को इन्ट्रोड्यूस करेंगे तथा उसै कंसिडर करने के लिए मोशन मूव करेंगे।

स्थानीय शासन मन्त्री (श्री सुभाष चन्द कटियाल): अध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा उन्मूलन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 1990 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं—

कि पंजाब गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा उन्मूलन) हरियाणा संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Slum Areas (Improvement and Clearance) Haryana Amendment Bill be taken in to

consideration at once.

श्री राम विलास शर्मा (महैंन्द्रगढ़): अध्यक्ष महोदय, भाई सुभाष कटियाल जी मदन के सामने बड़ा अच्छा विधेयक लेकर आए है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मेरा यह सुझाव है कि इस विधेयक का जो नाम ''पंजाब गन्दी बस्ती क्षेत्र'' है, वह अच्छा नही लगता इसलिए इसका नाम ''सुधार रहित बस्ती'' कर दिया जाए। 'पंजाब गन्दी बस्ती क्षेत्र' नाम सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। इस दिल के जरिये उन लोगों को, जो इन बस्तियों में रहते हैं सुविधाएं प्रदान करने के लिए सइन से बोर्ड बनाने की अनुमति मांग रहैं हैं। अध्यक्ष महोदय, यह विधि की विडम्बना है कि जो लोग 2– 3 पीढ़ियों से फाईव स्टार होटलों का निर्माण करने वाले हैं, वे जिन्दगी भर अपने लिए सिर पर छत का इन्तजाम नहीं कर पाते है। ऐसी बस्तियों क्ये जो लोग बसते हैं वे शौकिया तौर पर नहीं बसते हैं। हर प्राणी, हर जीव अच्छी जगह पर रहना चाहता है। आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियो के हिसाब से ये बस्तियां बनती है। जहां–जहां औद्योगिक नगर हैं, वहां गांव के बेरोजगार नौजवान, रोजगार की तलाश में रिक्शा चलाने वाले या ईंट – गारा पकडाने करे मजदूर आ कर रहने लगते है। इन लोगों को शहर में कोई ठिकाना नही मिलता जिस कारण दुखी हो कर ये गरीब तवके के लोग वहां पर रहने के लिए झुग्गी झोपड़ी डाल लेते है। इन लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के आप एक बोर्ड के गठन का प्रस्ताव सामयिक है। जैसे कि माननीय उप–मुख्य मन्त्री जी ने' बजट प्रस्ताव में कहा था कि हरियाणा देश के दूसरे प्रान्तों

की पर–कैपिटा इन्कम के हिसाब से दूसरे स्थान पर है। इतने समृद्ध प्रान्त के लिए इन प्रकार की सुविधायें केवल फरीदाबाद, जगाधरी, बहादुरगढ़, सोनीपत के लिए ही नहीं होनी चाहिएं बल्कि सारे प्रान्त मे जो ऐसी बस्तियां हैं उन सबके लिए विशेष आवासीय योजना बनाई जाए। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में एक और बात की ओर भी ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं। कई ऐसे प्रौपर्टी डीलर्ज भी है जो 10–20 लोगों को किराये पर रख लेते हैं और कुछ झुग्गी झोपड़ियां टैम्परेरी उनको देते हैं। इस प्रकार की कार्यवाही को रोकने के लिए भी इस बिल में कोई प्रावधान किया जाना चाहिए। असल में जो जरूरतमन्द लोग हैं उनकी खोज की जाए और उनके लिए स्थाई तौर पर सुविधाजनक बस्तियों का प्रबन्ध करें जहां पीने का स्वच्छ पानी, बिजली और वहां पहुंचने के लिए कोई सुलभ मार्ग हों। अध्यक्ष महोदय, इस के साथ ही अन्त में मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इस विधेयक का नाम–''पंजाब गन्दी बस्ती क्षेत्र'' से बदलकर ''सुविधा रहित बस्ती'' कर दिया जाए। इस प्रकार से इस बिल का नाम बदलने मे यह सदन सक्षम है। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): अध्यक्ष महोदय, सरकार ने पंजाब गन्दी बस्ती क्षेत्र सुधार विधेयक सदन में प्रस्तुत किया शै। वास्तव में यह ठीक ही किया है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि केवल कुछ ही

इण्डस्ट्रियलाइज्ड सिटीज ही नहीं बल्कि अनेक शहर और कस्बे भी हैं जहां पर अनाधिकृत कब्जे हैं और अनाधिकृत कालोनियां बनती जा रही हैं। वे लगभग एक तरह से स्लम का रूप धारण करते जा रहैं हैं। सरकार ने इसके लिए कानून बना रखे हैं कि अगर कोई इस प्रकार की अनरथोराइज्ड कालोनी में मकान बना ले तो उसका नक्शा पास नही होता। कमेटी और हुड्डा को भी पावर है कि वे इस प्रकार के अवैध निर्माण पर रोक लगा सकते हैं। कानून होने के बावजूद भी यह समस्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। अब सवाल यह पैदा होता है कि इन गन्दी बस्तियों और अनअथोराइज्ड कालोनियों को बनने से रोकने के लिए क्या किया जाए? अध्यक्ष महोदय, इस बात को कोई रोक नहीं सकता क्योंकि कस्बे और शहरों की तरफ देहात के लोग आ रहैं है जिसकी वजह से यह स्थिति पैदा हो रही है। जिस आदमी की थोड़ी–बहुत आर्थिक हालत सुधरती जा रही है वह कस्बे और शहरों की तरफ दौड़ता जा रहा है। शहरो और कस्बों की जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए स्वाभाविक तौर पर उनको रिहायश के लिए मकान की आवश्यकता होती है। जब तक आवश्यकता के अनुसार साधारण तरीके से कम कीमत पर हुड्डा या म्यूनिसिपल कमेटी की तरफ से प्लौट्स नहीं दिये जाएंगे तव तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ये गन्दी बस्तियां और अनाधिकृत कालोनियां बढ़ती ही रहैंगी। अध्यक्ष महोदय, आप जानते है कि जरूरत ही आविष्कार की जननी है इसलिए इसका कोई न कोई हल तो खोजना ही पड़ेगा। अगर हुड्डा सस्ते प्लौट्स दे दे तो इसका हल हो सकता है लेकिन हुड्डा

वाले इतने महंगे प्लौट्स देते हैं कि आम आदमी खरीद नहीं सकता लेकिन जो कौलोनाइजर्ज हैं वे कम कीमत पर उनको अनअथोराइज्ड जगह दे देते हैं। हालांकि जमीन मालिक से वे कम कीमत पर लेते हैं लेकिन प्लौट्स काट कर भी हुड्डा से कम कीमत पर देते हैं। हुड्डा और कौलोनाइजर्ज के प्लौट्स की कीमत में काफी अन्तर होता है, इसलिए आम आदमी बिना किसी चीज की परवाह किए कम कीमत का प्लौट खरीद लेता है। इस प्रकार से ऐसी कालोनियां बढ़ती चली जाती हैं। ऐसी कालोनियों के लिए जहां बिजली कनैक्शन वाटर सप्लाई पर पाबन्दी है, उसके साथ ही यह भी कर दे कि आर कोई अधिकारी इस प्रकार की कालोनी में किसी को किसी प्रकार का क्नैकशन देगा तो वह भी दण्डित होगा, ऐसा करने से उन पर चौक लग सकता है और साथ ही उसके प्लौट का भी प्रावधान कर दिया जाना चाहिए। जो इण्डस्ट्रिलाइज्ड एरियाज हैं, उनमें देहात के लोग रोजगार प्राप्त करने के लिए आते हैं वे गन्दी बस्तियों में मकान बना लेते हैं जिस के कारण यह विधयेक प्रस्तुत किया गया है और जिस के द्वारा बोर्ड का गठन किया जा रहा है। इस बोर्ड के गठन से कर्जा लेने के लिए सुविधाएं हो जाएगी। यह बोर्ड कहीं से भी लोन या कर्जा ले सकता है और स्लम एरियाज में सुधार किया जा सकता है। ऐसा करने से गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग इन्सानियत की सुविधाएं दे सकें और उनको आपकी ऐप्रूवल मिल सके। इन अलफाज के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री कुन्दन लाल भाटिया (फरीदाबाद): स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से कटियाल साहब का इस बिल को इस हाउस में लाने के लिये धन्यवाद करता हू। साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि फरीदाबाद के अन्दर कम से कम 30,000 झुग्गी– झोपड़ियां हैं। तकरीबन 35 साल पहले यह आबाद हुआ था। उसके अन्दर अब एन० आई० टी० नं० 1, नं० 2, नं० 3, नं० 4 और नं० 5 की पोजीशन यह है कि वहां पर जो नालियां बनी हैं वे साफ नहीं हैं और काफी जगह तो नालियां बनी ही नहीं हैं। जो नालियां बनी हैं वे आज तक कभी रिपेयर नहीं हुई हैं। इसलिए मेरी यह प्रार्थना है कि इन नालियों को ठीक करने की तरफ जल्दी ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।

श्री बलबीर सिंह चौधरी (फतेहाबाद): स्पीकर साहब, सरकार यह जो संशोधन बिल लाई है यह अति स्वागत योग्य बिल है। अध्यक्ष महोदय, बड़े–बड़े शहरों में आज नई–नई बस्तियां बन रही हैं लेकिन उन बस्तियों में न तो पानी की और न ही मल निकास की कोई व्यवस्था है जिस के कारण ये गन्दी बस्तियां बनती जा रही हैं। उन बस्तियों को साफ सुथरा रखने तथा वहां पर बसे हुए लोगों को ठीक रिहैब्लीटेट करने के लिए सरकार हरियाणा स्लम क्लीयरैसं बोर्ड बनाने की शक्ति इस सदन से लेना चाहती है और इस बारे में रूल्ज एण्ड रैगुलेशंज बनाना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा में छोटे शहर अपने आप में गन्दी बस्ती बनते जा रहैं

है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया कि उनमें चुनाव कराए और चुनाव कराने के बाद अठारह बीस साल मैं इस सरकार ने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कौ लागू किया और लोगों को जनाधिकार दिया लेकिन म्यूनिसिपल कमेटी में एक ऐसा वर्ग चुनकर आ गया कि उनकी वजह से वहां पर कामकाज अच्छा नहीं चल रहा है। फतेहाबाद म्यूनिसिपल कमेटी के बारे में पिछले दो साल से डिपार्टमैटल इंक्वायरी पैंडिंग है और मन्त्री महोदय ध्यान नहीं दे रहैं हैं। इस कारण फतेहाबाद शहर एक गन्दी बस्ती हो गया है। बारह म्यूनिसिपल कमिश्नर्ज ने लिखकर दिया हुआ है कि वहां पर लाखों रुपए का घपला है। अध्यक्ष महोदय, सरकार के अधीन वह इंक्वायरी है लेकिन सरकार कोई इंक्वायरी नहीं कर रही है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर अठारह में से बारह म्यूनिसिपल कमिश्नर्ज प्रधान को हटाना चाहते हैं लेकिन उनको कोई जनाधिकार नहीं मिल रहा है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जहां गन्दी बस्तियां हटाने का काम सरकार करने जा रही है वहां इस तरह का छोटे शहरों में जो करप्शन है उसको भी दूर किया जाए तथा गन्दे पानी तथा मल निकास का प्रबन्ध करें। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां रहूंगा और मन्त्री महोदय वहां जाएं और देखें कि उस शहर की क्या हालत है। अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि फतेहाबाद शहर के लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए कोई पक्के कदम उठाए।

श्री हरनाम सिंह (शाहबाद): स्पीकर साहब, सरकार जो यह पंजाब गन्दी बस्ती (सुधार तथा उन्मूलन) हरियाणा संशोधन विधेयक लाई है यह बहुत अच्छा विधेयक है और इससे बहुत लाभ होगा। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यह केवल कुछ इंडस्ट्रियल तथा बड़े सिटीज की ही बात नहीं है बल्कि हरियाणा में कोई ऐसा शहर नहीं है जहां आबादी न बढ़ रही हो और जहां पर नई बस्तियां न बन रही हों तथा जहां गन्दी बस्तियां न हों। अध्यक्ष महोदय, स्लम की परिभाषा यह है कि जहां गलियां कच्ची हो, सफाई न हों, मल तथा पानी के निकास का प्रबन्ध न हो और बिजली का प्रबन्ध न हो। अध्यक्ष महोदय, अगर हम सर्वे कराकर देखें तो हरियाणा मैं कोई ऐसा शहर नही है जहां पर काफी बड़ा हिस्सा ऐसा न हो। शहरों में गन्दी बस्तियों का और अधिक फैलाव रोकने के लिए हमारी सरकार एक बोर्ड के गठन की बात कर रही है। इसके लिए काफी पैसे की आवश्यकता होगी जिससे कि जल तथा मल का ठीक प्रकार से निकास हो सके। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार जितना अच्छा विधेयक लाई है उतना ही अच्छा फाइनैस बोर्ड को मिलना चाहिए ताकि हम ठीक मायने में इसे अमली जामा पहना सके।

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Slum Areas (Improvement and Clearance) Haryana Amendment Bill be taken in to consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : The House will now take up the Bill clause by clause.

Clauses 2 to 8

Mr. Speaker : Question is-

That clauses 2 to 8 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

.....

.....

.....

.....

.....

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव–

(1) वर्ष 1987– 88 के लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार का अनुदान उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट सम्बन्धी।

Mr. Speaker : Hon. Members, there is a motion under Rule 84 from Shri Hira Nand Arya, M.L.A. for the discussion of Grant Utilisation Certificate and Audit Report of the Haryana Agricultural University, Hisar, for the year 1987-88, which was laid en the Table of the House on the 12th March,1990. He may please move his motion.

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि वर्ष 1987– 88 के लिये हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार का अनुदान उपयोगिता प्रमागा–पत्र तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट, जोकि 12 मार्च, 1990 को सदन की मेज पर रखी गई थी, पर चर्चा की जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Grant Utilisation Certificate and Audit Report of the Haryana Agriculture University, Hisar for the year 1987-88, which was laid en the Table of the House on the 12th March, 1990, be discussed.

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में कुछ कहना चाहता हूं। इस को पढ्ने से ऐसा मालूम हुआ है कि यूनिवर्सिटीज की जो ग्रान्ट्स होती हैं, उनका सही युटिलाइजेशन नही होता है और ग्रान्ट समय पर खर्च न करने के कारण लैप्स हो जाती है। काफी सारी ग्रान्ट्स के बारे में चाहें वे किसी विभाग से ही क्यों न सम्बन्धित हो, प्रायः ऐसा ही होता है। लगभग सारा साल किसी न किसी कार्यक्रम में व्यतीत हो जाता है और साल के अन्त में जाकर जल्दी में सारा पैसा खर्च किया जाता शै जिससे पैसे का मिस–यूज होता है और जिस सही काम के लिये वह पैसा दिया जाता है, उस सही परपज के लिये वह पैसा खर्च नहीं हो पाता है इसलिये सरकार को इन सभी बातों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो पैसा जिस परपज के लिये दिया जाता है, उसका सदुपयोग सही समय पर हो होना चाहिये। चाहें पैसा केन्द्र सरकार को तरफ से हो या प्रदेश सरकार की तरफ से हो, उसका सही सदुपयोग होना चाहिए। यह पैसा लैप्स नहीं होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, 6 करोड़ 9 लाख 6 हजार नौ सौ चार रुपये की राशि किसी एक मद की थी, जो कि समय पर सदुपयोग न होने के कारण लैप्स हो गई है। अगर इस पैसे से सम्बन्धित कार्यवाही समय पर हो जाती तो किसानों के लिये जो पैसा लगना था, वह लग पाता और उसका सदुपयोग हो जाता लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से डैजर्ट एरिया के लिए, जो बिल्कुल रेतीला इलाका हो, गवर्नमैंट औफ इडिया ने काफी पहले 4–5 करोड़ रुपए की एक योजना बनानी थी। वह योजना

केवल इस आधार पर लटक रही है कि इस यूनिवर्सिटी ने उसके लिए प्रौपर साइट सिलैक्ट करके गवर्नमैंट आफ इंडिया को नहीं भेजी। पिछते 3–4 साल से वह योजना लटक रही है। आखिर में जो साइट सिलैक्ट की वह भी गलत थी। कई बार बड़ा नाजायज काम ये कर देते है। पिछली सरकार के केन्द्रीय कृषि मन्त्री की वजह से उसमें चेजं कर दी गई। उस वक्त उस योजना की डैजर्ट एरिया में वास्तविक यूटिलिटी थी लेकिन उसकी यूटिलिटी वहां करने की बजाए केवल अदर कसिड्रेशज के आधार पर वह आदमपुर में लगा दी गई जहां कि वास्तव में उसकी युटिलिटी नही हो सकती। यूनिवर्सिटी के ऐक्सपर्टस के मुताबिक सब से मुआफिक जगह अगर उन्होंने पाई थी, वह लोहारु और झुपा के पास की जगह थो। इनसे उपयुक्त और कोई स्थान नही था। लेकिन पता नहीं यह किस प्रकार से किया गया। इस प्रकार से अनाधिकार चेष्टा करके पैसे का गलत इस्तेमाल कर जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की आजादी के बाद इन– यूनिवर्सिटिज में जो रिसर्च वर्क हुआ है, वह चाहैं गेहूं का हो या किसी और चोज का हो, हर बीज के लिए और खाद के लिए हमारा ध्यान विदेशों में और वैस्टर्न कन्ट्रीज में बनी हुई मंहगी खादों की तरफ विशेष रूप से जाताहै। लेकिन हमारी ओरिजिनल चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। जैसे रेशम का कीड़ा रेशम पैदा करता है। इसलिए इस प्रकार की खोज करनी चाहिए कि हम अपने देसी नुस्खों से अधिक खाद पैदा कर सकें। आज हम नकल कर रहैं हैं लेकिन अपने ओरिजिनल नुस्खों से जो

किया जाना चाहिए था वह नही कर पाए। उसके न करने का परिणाम यह हुआ है कि आज जो अनाज पैदा किया जाता है उसमें भी एक तरह से मिलावट पहुंच जाती है। आज सारी पैदावार पोआएजन बनती जा रही है। इसलिए जैसे पहले हमारा देसी हिसाब किताब था उस तरीके से अनाज पैदा किया जाए। जैसे किसी ने गवार बो दी, उसके बाद अगर उसकी खाद बनाएं तो वह अधिक कारगर साबित हो सकती है और उस जमीन की फर्टीलिटी भी कम नहीं होती। लेकिन दुर्भाग्य से इन बातों की तरफ हमारे साईंसदान नहों जा पाए। उनका ध्यान तो मंहगी खादों की तरफ रहता है। महंगी खाद से बड़े बड़े इंडीस्ट्रियलिस्टस और पूंजी पतियों के कारखाने चलते हैं। साधारण आदमी इन खादों पर ध्यान नहीं दे पाता। अगर ध्यान देता है तो वह खाद मंहगी होती है। अगर आज जमीन में ऐसी खाद न डालें तो अगले साल उसमें कुछ भी पैदा नहीं होता। इसलिए इस बात की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसके पेज 170 पर दिखाया गया है कि 1974– 75 से लेकर अब तक बहुत सी ग्रांटस का मिस–ऐप्रोप्रिएशन हुआ है, ऐम्बैजलमैंट हुआ है और शौर्टेज एंड लाइकली केसिज औफ मिस–ऐप्रोप्रिएशन औफ फंडज हुए हैं। आज तक ये आउट–स्टैंडिंग हैं। जिन लोगों ने पैसा मिस यूटिलास्म कर लिया या ऐम्बैजलमैंट कर ली वे केस 1974– 75 से लेकर आज तक अगर पैंडिग है तो

फिर किसे को चिन्ता होगी कि इस पैसे का ठीक प्रकार से इस्तेमाल किया जाए। इस लिए जो संबंधित अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करके एक तरह सै फारिग करना चाहिए। वरना तो जब लम्बा केस पड़ जाता है तो उसके बाद सोचते हैं कि बीस साल हो लिये इसका क्या किया जाए। संबंधित लोग रिटायर हो जाते हैं और अपने थर चले जाते हैं फिर कहा जाता है कि संबंधित आदमी रिटायर हो गया अब उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा सकती है। तो इस बात को गम्भीरता से लेकर ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कार्यवाही नही की जाती है तो जनता के जो अधिकारी हैं या प्रतिनिधि हैं, इन सब के पार्ट पर जनता के साथ कृतध्नता जैसी बात होगी अगर यह कह दिया जाए तो कोई अन–उपयुक्त बात नही होगी।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ एक राशि का जिक्र इसके पेज 204 पर है इस मे लिखा है कि 2,50,38,383 रुपये 35 पैसे की ऐडवांस पेमैंट की गई थी और यह राशि रजिस्ट्रार, कंट्रोलर, डायरैक्टर औफ रिसर्च यानी अलग अलग औफिसर्ज को अलग अलग मदो पर खर्च करने के लिये दी गई थी लेकिन आज तक उनसे उस पैसे के युटिलाइजेशन सर्टिफिकेटस नहीं लिए गए। उस पैसे के बारे में किसी को पता नही कि उन्होंने ' वह किस ढंग से यूज किया है। टैम्पोरेरी का मतलब यह थोडे ही है कि सालों साल तक वह पैसा अपने पास रखें और उसका कोई हिसाब किताब ही न दें। यह बड़ी भारी अनियमितता है। इसकी तरफ

सरकार को तुरन्त ध्यान देना चाहिये और ध्यान दे करके उन लोगों के खिलाफ जो लोग जिम्मेदार हैंरू रजिस्ट्रार, कंट्रोलर, डायरैक्टर औफ रिसर्च, डीन, पी० जी० एस०, सैक्रेटरी टू वी० सी०आदि यह बहुत लम्बी चोडी लिस्ट है जिनको अलग अलग मदों पर खर्च करने के लिंए पैसा दिया गंधा था, उनके खिलाफ गम्भीरता से कोई न कोई कार्यवाही करनी चाहिये ताकि जो पैसा जनता का है और जनता के लिये यूज होना है वह ठीक प्रकार से इस्तेमाल हो सके।

इसी तरह से इस रिपोर्ट में एक अपैंडिक्स ''बी'' है इसमें 132 76 लाख रुपए का लेखा जोखा ठीक नही कर पाए है। इसमें लिखा है –

"Showing details of Public Works Advances outstanding on 31st March, 1988 as referred to in para 8 of Annual Audit Repert on the accounts of Haryana Agricultural University. Hisar for the year 1987-88."

इसको भी ध्यान से देखने की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रख कर अगर कोई कार्यवाही की जाएगी तो कोई न कोई सुधार अवश्य हो सकेगा। हमारा देश कृषि प्रधान है, हमारा प्रदेश भी कृषि प्रधान है, अगर इन बातो की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा तो यह पैसा बरबाद होगा और आप जनता की जो सेवा करना चाहते हैं वह नहीं कर पाएंगे 1 मैं इस आशा के साथ अपना भाषण समाप्त करता हू कि हमारी सरकार ऐसी

अनियमितताओं की तरफ ध्यान देगी ताकि जनता को सेवा हो सके। धन्यवाद।

गृह मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय, दूसरी मोशन भी मूव हो आए। मैं दोनो का जवाब इकट्ठा दे दूगा।

(2) वर्ष 1988– 89 के लिए हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड की 15 वो वार्षिक रिपोर्ट सम्बन्धी।

Mr. Speaker : Hon. Members there is a motion under Rule 84 from Shri Ram Bilas Sharma, M.L.A. for the discussion of the 15th Annual Report of the Haryana Seeds Development Corporation Ltd. for the year 1988-89, which was laid on the Table of the House on the 15th March, 1990. He may plc ase move his motion .

श्री राम विलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हु –

कि वर्ष 1988–89 के लिये हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड की 15वीं वार्षिक रिपोर्ट, जो कि 15 मार्च, 1990 को सदन की मेज पर रखी गई थी, पर चर्चा की जाए।

Mr. Speaker : Motion moved-

That the 15th Annual Report of the Haryana Seeds Development Corporation Ltd. for the year 1988-89, which was laid on the Table of House on the 15th March, 1990, be discussed.

श्री राम विलास शर्मा (महैंन्द्रगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह हरियाणा बीज विकास निगम की 15वीं वार्षिक रिपोर्ट है। इसके पृष्ठ क्रंमाक 2 पर बीन विकास निगम ने यह स्वीकार किया है कि अब तक का 380 लाख रुपए घाटा है। इसी रिपोर्ट के पृष्ठ क्रमांक 5 पर यह स्वीकार किया है कि शंकर बाजरे के बीजों का प्रबंध राष्ट्रीय बीज विकास निगम गुजरात, गुजरात राज्य द्वारा किया गया क्योकि हरियाणा राज बाजरे के बीज का उत्पादन करने में असमर्थ है। अध्यक्ष महोदय, पिछने कुछ सालों से हरियाणा सरकार का यह अनुभव है कि सरकार जो भी निगम चला रहो है उन सभी निगमो के उद्देश्य में केवल एक ही बात कह दी जाती है कि यह जनहित में है। जैसे हरियाणा बीज विकास निगम है इसका वैरी पपर्ज यह दर्शाया गया है कि हरियाणा के किसानों की जरुरत के मुताबिक उनकॉ बीज उपलब्ध हो सके। अच्छा बीज उपलब्ध हो सके यानी चाहैं वह बाजरे का बीज है, चाहैं चने का बीज है, चाहैं गेहूं का बीज है और चाहैं सब्जियों का बीज है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा बीज विकास निगम में लगातार पिछले 15 सालों से बहुत अच्छे अच्छे अफसर काम कर रहैं हैं। मेरे ख्याल में हरियाणा सरकार ने इस निगम में वरिष्ठतम अफसर और ईमानदार अफसर लगाए हुए हैं। लेकिन प्रथा ही ऐसी बन गई है कि जिस चीज को हम हाथ में लेते हैं वह कामयाब नही है। जैसे टैलीबर्ड कम्पनी का उदाहरण हमारे सामने है। फरीदाबाद में टैलीबर्ड कम्पनी थी। वह जब चल नहीं पाई तो सरकार को उसे बन्द करना पड़ा और जमीन आदि बेचनी पड़ी। करोड़ों रुपया हरियाणा के गरीब किसान

मजदूर और व्यापारियों की कमाई का व्यर्थ में गया। लेकिन सरकार टैलीविजन नहीं बना सकी। आज उसी फरीदाबाद में टैलीविजन बनाने वाली लगभग 10 कम्पनियां हैं और वे करोड़ों रुपया कमा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से एक हरियाणा डेरी डिवैल्पमैंट कारपोरेशन है वह किसानों से दूध ले करके उसका अच्छा घी बनाती है, अच्छा मिल्क पाउडर बनाती है लेकिन फिर भी मुनाफा नही कमा सकती। लेकिन हरियाणा प्रदेश में पेहवा में मधु घी बनाने वाला हमारे मुहं पर चपेट मारता है। हमारे किसानों की गाय भैसों का दूध ले करके करोड़ों रुपया कमाता है। वह व्यक्तिगत पूंजी में बढ़ौतरी भी करता है और वहां के लोगों की सेवा भी करता है। इसी तरह से बीज विकास निगम का मामला जो यहां पर चल रहा है इस में हमने 15 सालों में 380 लाख रुपये का घाटा वहन किया है। एक तरफ तो हम घाटा वहन कर रहैं हैं और दूसरी तरफ किसानों को उनकी जरुरत के मुताबिक बीज नही दे पा रहैं। अध्यक्ष महोदय, आप व्यवसाय से किसान हैं। आप भी खेती के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। मैं उस एरिया से ताल्लुक रखता हूं जहां पर बाजरे की बहुत अधिक पैदावार होती है। अध्यक्ष महोदय, बाजरे की बीजाई दो फेजिज में मुश्किल से 7 दिन हो पाती है। पहले फेज में मुश्किल से दो–तीन दिन बीजाई हो पाती है उसके बाद जमीन की नमी सूख जाती है जिस कारण उसकी बीजाई नहीं हो सकती। दूसरे फेज में मुश्किल से दो तीन दिन तक ही बीजाई हो पाती है। आर्य जी भी उसी एरिया से संबंध रखते हैं जहां पर बाजरे की अधिक पैदावार होती

है। अध्यक्ष महोदय, बाजरे की बीजाई में इतने समय में ही अन्तर पड़ जाता है जितने समय में वह अपने सिर पर खण्डवा बांध कर खेत में जाने के लिये तैयार होता है। बीज निगम की तरफ से बीज नही मिलता। लोग मजबूरी में कोई चमड़े की मोहर लगी थैली ले आते है तो कोई और थैली ले आते हैं। जब किसान अपनी बाजरे की उपज मण्डी में लेकर जाता है तो उसका बाजरा 95 पैसे प्रति किलो के हिसाब से बिकता है लेकिन जब वह बीजाई के समय बीज लेने जाता है तो उसे बीज निगम से जो थैली 3 रुपये में मिलनी चाहिए, वह उसे 11 रुपये में खरीदनी ए रही है। 11 रुपये में भी खरीदने के बाद कोई गारन्टी नहीं कि उसे वह बीज ठीक मिल जाए किसान मार्किट से इस लालच में बाजरे का बीज खरीदता है कि उसकी अधिक पैदावार होगी और उसे अच्छा भाव मिलेगा। आज के दिन हमारी बीज निगम किसानों को बाजरे का बीज उपलब्ध नही कर पा रही है। हमारी बीज निगम शंकर बाजरे का बीज तैयार नही कर सकती क्योकि यह बीज इसलिये यहां पर तैयार नहीं हो सकता क्योंकि यहां का जलवायु और यहां की मिट्टी इसकी आवश्यकतानुसार ठीक नहीं है। जब हम यह बीज तैयार नहीं कर सकते तो इस बीज की पैदावार को यहां पर बंद क्यों नहीं कर देती। अध्यक्ष महोदय, सरकार के नेतृत्व मैं परिवर्तन आया है और हमारे सी० एम० साहब बड़ी बारीकी से सब बातों को देख रहैं है। हमारी कई कार्पोरेशज घाटे में चल रही हैं। कुछ को बद भी किया है। हमारी जो टेलीबर्ड कम्पनी थी वह भी करोड़ों रुपये का घाटा दिखा कर बंद कर दी गई। इसी प्रकार से जीन्द

की टैनरीज में भी करोड़ो रुपये का घाटा हुआ है। वहां पर 150–200 लोग बेकार हो गए हैं। सरकार उनको अभी तक कही पर भी ऐडजस्ट नहीं कर पाई है। इसी प्रकार से स्टील या कानकास्ट वाली कम्पनी भी घाटे में जा रही है। हमारे साथ ही यदि वही पर दो प्राइवेट आदमी मिलकर वही काम जो हम करना चाहते हैं अपने हाथ में लेते हैं तो वे उसमें कामयाब रहते हैं। इसलिये मेरी मांग है कि नई लीडरशिप इन पर चिन्ता करे और ऐक्सचौकर पर जो अन–प्रोडक्टिव बोझ है उसे खत्म करें। मैं कहना चाहता हूं कि इस बीज निगम की सफलता की कोई गारन्टी ले और उसकी यह जिम्मेदारी हो कि वह बीज विकास निगम को घाटे में नहीं जाने देगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी यह बीज निगम न सिर्फ बाजरे का बीज समय पर उपलब्ध करवा पा रही बल्कि गेहूं और चने का बीज भी उपलब्ध नही करवा पा रही है। इन 15 सालों में निगम किसानों के लिये कुछ नही कर पाई जबकि डसमें सरकार का ज्यादा शेयर है। अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा को उठाने का मेरा मकसद यही है कि हरियाणा की जनता पर ऐसा जो करोड़ों रुपये का भार कार्पोरेशनों का बढ़ा हुआ है वह बंद किया जाये या इसकी सफलता की गारन्टी कोई लेने वाला हो जिस पर यह बोझ डाला जाये। इतनी बात कहते हुए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार मेरी बातों की तरफ ध्यान देकर आवश्यक कदम उठायेगी।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदान (कैथल): अध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्ट सदन के सामने भाई राम बिलास शर्मा जी ने रखी है, उस पर मैं भी चन्द शब्दों में अपनी बात रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस कार्पोरेशन की कमियों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। अब की बार जब चुनाव का समय था तो साथ ही साथ गेहूं की बीजाई का भी समय था। इस बीज विकास निगम के पास इस साल भी गेहूं का बीज उपलब्ध नहीं था। जिसके कारण उन लोगों ने किसानों को बीज नहीं दिया। मैंने खुद ऐप्रोच किया और उनसे मिला तो उनका जवाब था कि जितनी मार्किट में बीज की जरुरत है उतना बीज हमारे पास नही है बल्कि हमारे पास कम है। बीज की जितनी डिमाण्डज है उतना माल हमारे पास नहीं है इसलिये इस बीज की जब और सप्लाई आएगी तभी हम बीज देंगे। इन दि मीनटाईम प्राइवेट दुकानदारों ने खूब रेट बढ़ा कर ब्लैक मार्किटिंग की। कहीं ऐसा तो नही कि हमारे प्रशासन के साथ मिली भगत करके उन लोगों ने नाजायज फायदा उठाया हो। इस बारे में भी ध्यान दिया जाए क्योंकि मिनिस्टर वगैरह इलैक्यान मे बिजी थे, इसलिए मार्किट में आर्टिफिशयल कमी क्रियेट करके तो कहीं उन्होंने नाजायज फायदा नही उठाया हो। इसी प्रकार की बात डी० ए० पी० खाद के बारे में है जिमकी गेहूं के लिए जरुरत है। इस डी० ए० पी० खाद की भी इतनी कमी थी कि डुलकी भी ब्लैक की गई। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से आग्रह करुंगा कि वे इस ओर ध्यान दें ताकि आने वाले समय में जौ माल उनके

पास स्टौक मैं हो कम–से–कम वह तो लोगों को मिले ताकि दुकानदार नाजायज फायदा न उठा सकें। धन्यवाद।

गृह मन्त्री (प्रो० सम्पत सिंह): स्पीकर सर, ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और सीडज कार्पोरेशन की रिपोर्टस पर यहां चर्चा हुई है। चर्चा की शुरुआत करते हुए श्री हीरा नन्द आर्य जी ने कहा था कि हमारी यूनिवर्सिटी की ग्रान्टस लैप्स हो जाती है। स्पीकर सर, हमारी ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एशिया में नं०1 की यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी का प्रबन्ध बहुत बेहतरीन ढंग से हो रहा है। यदि काम बेहतरीन ढंग से नहीं हो रहा होता तो हमारी यह यूनिवर्सिटी आज एशिया में कैसे अपना नाम कमाती। इस यूनिवर्सिटी की बदौलत आज देश में अनाज की प्रोडक्शन बाकायदा बढ़ी है। नये नये बीजों की खोज हुई है और उनमें बाकायदा ऐक्सटैशन का काम भी हुआ है। श्री आर्य जी ने यह टिप्पणी की थी कि ग्रान्टस लैप्स हो जाती हैं। इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि सारी ग्रान्टस लैप्स नहो हुआ करती है। कुछ स्कीम्ज ऐसी होती है जो अगले साल कन्टीन्यू करती हैं। कई बार किसी स्कीम पर 2– 3 साल भी लग जाया करते है। जो पैसा स्कीम के लिए ईयर–मार्क होता है वह लैप्स रही होता चाहैं स्कीम 2 साल में पूरी हो, चाहैं 3 साल में पूरी हो। इस स्कीम से जुड़ा हुआ जो पैसा है इससे अलग बहुत थोड़ा पैसा होता है जो लैप्स होता होगा। फिर कहोने रिक्वरी की बात की है। रिकवरी में एकाउंटस सैटल होने बाकी है वह कोई गबन नहीं है। श्री आर्य

जी ने पेज पढ़ कर सुना दिया कि इतना गबन हुआ है और यूनिवर्सिटी के इतरों बड़े बड़े औफिसर्ज के खिलाफ यह गबन का मामला था। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही जिक्र कर दिया है कि यह गबन नही, केवल अकाउंटस सैट्रल होने है और कोई बात नही है।

इसी प्रकार श्री राम बिलास शमी जी ने सीडज कार्पोरेशन के बारे में हुए घाटे और बीज के बारे मे जिक्र किया है। जहा तक घाटे का सवाल है, 1988–89 में 27 लाख 80 हजार रुपये का घाटा सीडज कार्पोरेशन को नही हुआ है। पिछले साल सीडज प्रोसैसिंग प्लांट लगाया था जिसके लिये 8 करोड़ रुपये का लोन लिया था। उस लोन पर जो इन्ट्रैस्ट है उसको भी घाटे में माना गया है इसी वजह से यह घाटा है वरना सीडज कार्पोरेशन में कोई घाटे वाली बात नहीं है और यह कार्पोरेशन बड़े बढ़िया ढंग से काम कर रही है। इस बात को भी राम बिलास शर्मा जी ने खुद ही माना है कि इसके मैनेजिंग डायरैक्टर बड़े ही अच्छे ढंग से इसकी मैनेजमैंट कर रहैं हैं और बड़ा अच्छा काम चल रहा है। स्पीकर सर, शंकर बीज के बारे में इन्होंने जो कुछ कहा वह ठीक है। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बीज यह कार्पोरेशन तैयार नही कर सकती उसे पब्लिक इन्ट्रैस्ट में और फारमर्ज के इन्ट्रैस्ट में दूसरी जगहों से बीज ला कर देना चाहिये ताकि फारमर्ज को सही मौके पर सही बीज उपलब्ध करवाया जा

सके। इस प्रकार से सीड कार्पोरेशन और ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी दोनों में ही ठीक प्रकार से काम चल रहा है।

श्री अध्यक्षः अब हाउस दिनांक 29– 3– 1990 को सुबह 9.30 बजे तक ऐडजर्न किया जाता है।

11. 59 बजे।

(तत्पश्चात सदन वीरवार, दिनांक 29– 3– 1990 प्रातः 9.30 बजे तक स्थगित हुआ)।